बृहस्पतिवार,
१९ फरवरी, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार १९ फरवरी १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय नाविक डाकयार्ड बम्बई

*१६८. श्री विट्टल राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मज़दूरी भुगतान अधिनियम बम्बई के अन्तर्गत प्राधिकारी न्यायालय ने निर्धारित किया है कि भारतीय नाविक डाकयार्ड बम्बई के ८० मज़दूरों के सम्बन्ध में मज़दूरी की अवैध कटौती हुई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि मज़दूरी भुगतान अधिनियम बम्बई के अन्तर्गत प्राधिकारी न्यायालय के इस निर्णय के बाद भी भारतीय नाविक डाकयार्ड का महाधिपोतिक अधीक्षक अब भी मज़दूरों की मज़दूरी काट रहा है ?

(ग) उपाय जो कि प्रादेशिक श्रम आयुक्त बम्बई ने किये जो कि मज़दूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत एक निरीक्षक है और जिस के पास यह मामला एक

औद्योगिक विवाद के रूप में भारतीय नाविक डाकयार्ड कर्मचारी संघ द्वारा निर्देश किया गया था, तथा

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार को मज़दूरी भुगतान न्यायालय के वादों में तथा लेख सम्बन्धी प्रार्थना पत्र में महाधिपोतिक अधीक्षक ने उच्चन्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था और जो उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ५०००) रु० हर्जाने में देने पड़े ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां।

(ख) मज़दूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारी निर्णय से सरकार सन्तुष्ट नहीं थी तथा इसी कारण बम्बई के उच्च न्यायालय के सामने लेखनिर्गम के लिये प्रार्थना पत्र उपस्थित किया। उच्च न्यायालय ने वाद पर गुणितानुसार विचार नहीं किया इस कारण कि जब प्राधिकारी का आदेश सरकार द्वारा पालन किया जा चुका है कोई आदेश पालन करने के लिए शेष नहीं है तथा इस कारण कोई भी प्रतिषेध-लेख या परमादेशलेख नहीं हों सकता। उच्च न्यायालय ने सरकार का प्रार्थना पत्र यह लिख कर अस्वीकृत कर दिया कि यदि प्राधिकारी मज़दूरों के अन्य प्रार्थना पत्रों पर ऐसे ही आदेश देवे तो सरकार को स्वतंत्रता होगी कि उस आदेश का पालन

न करे और उस आदेश को प्रत्यादिष्ट कराने के लिय उचित कार्यवाई करे। इसी लिये सरकार ने निश्चित रूप से आदेश में उल्लिखित अवधि के आगे प्राधिकारी द्वारा आज्ञापित अतिरिक्त देनगी न करने का निश्चय कर लिया।

(ग) बम्बई का प्रादेशिक श्रम आयुक्त मज़दूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत एक निरीक्षक नहीं है। औद्योगिक विवाद के रूप में उसको किये गये निर्देश पर उस ने कोई कायवाई नहीं की क्योंकि नाविक डाकयार्ड के अनेक अन्य मज़दूरों द्वारा प्रस्तुत किये गये नये प्रार्थना पत्र सरकार द्वारा फिर से विवादित हो रहे थे और मामला विचाराधीन था।

(घ) नहीं श्रीमान। कुल व्यय जो किया गया २,५००)रु० से अधिक नहीं है।

श्री विट्टल राव: क्या मैं जान सकता हूं कि मज़दूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत अतिक्रमण न होने पावें इस को पक्का करने का कोई साधन है ?

सरदार मजीठिया : कोई अतिक्रमण नहीं होने पाता है।

श्री वी० पी० नायर: औचित्य संप्रेषण। श्रीमान् माननीय सदस्य ने पूछा कोई साधन है परन्तु उत्तर दिया गया कि कोई अतिक्रमण नहीं हैं ?

सरदार मजीठिया: सामान्य. विधि अपनी साधारण क्रिया से काम करता है।

उपाध्यक्ष महोदय: कोई विशेष साधन नहीं है और यही बात माननीय मंत्री ने कही है। मैं सब से निवेदन करूंगा विशेषकर माननीय मंत्रियों से कि यह कहने में कोई हानि नहीं है कि ऐसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है या यह कि अधिनियम के प्रायिक प्रविधान मौजूद हैं। अगला प्रश्न।

भारतीय नाविक डाकयार्ड कर्मचारी संघ

*१६९. **श्री विट्टल राव:** क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय नाविक कर्मचारी संघ को नाविक प्रधान कार्यालय द्वारा मान्यता दी गई है, तथा

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह भारतीय नाविक डाकयार्ड कर्मचारी संघ १९२८ के मज़दूर सभा अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीबद्ध संघ नहीं है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, नवम्बर १९३९ में उस को मान्यता दिये जाने के समय इस संघ का नाम था, "तत्रमहान का भारतीय नाविक डाकयार्ड कर्मचारी संघ"।

(ख) नहीं, श्रीमान्। यह संघ अपैल १९३९ में उसके पुराने नाम से पंजीबद्ध किया गया था।

श्री विट्टल राव: क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य संघों द्वारा मान्यता प्रदान करने के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ?

सरदार मजीठिया: दूसरे संघों से ? मेरी जानकारी में कोई भी नहीं।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि दूसरे संघों को जो अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले हैं मान्यता प्रदान की जायगी ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक परिकल्पित प्रश्न है।

श्री नम्बियार. ऐसे संघ अभिवेदन भी कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री बता चुके हैं कि अन्य कोई अभिवेदन नहीं है। उक्त सज्जन उस में दूसरों को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? अगला प्रश्न।

रेडियो संचारण व्यवसाय

*१७०. **श्री लक्ष्मण सिंह चारक :** क्या **रक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेडियो संचारण व्यवसाय कहां स्थापित किया जायेगा तथा लगभग व्यय जो इस व्यवसाय के स्थापित करने में पहले पहल सरकार द्वारा किया जायगा ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस व्यवसाय को भारत म स्थापित करने से पहले किसी अधिकारी को इस का संचालन अध्यन करने के लिये भेजा है और क्या कोई प्रतिवेदन सरकार के सामने उपस्थित किया गया; तथा

(ग) यदि खण्ड (ख) का उत्तर 'हां' में हो तो क्या प्रतिवेदन की एक नकल सदन पटल पर रक्खी जायगी ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) इस व्यवसाय को बंगलौर में स्थापित करने का इरादा है तथा आगणित पूंजी-परिव्यय लगभग ७ करोड़ रुपया है।

(ख) फ्रांसीसी फर्म के साथ होने वाले संविदा पर हस्ताक्षर होने के पहले विस्तृत योजना प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे और सरकार के शिल्पक अधिकारियों द्वारा उनका अध्ययन किया गया था। उन में कुछ उन फ़र्मों के कारखानों को देखने के लिये भेजे गये थे जिन्हों ने योजना प्रतिवेदन भेजे थे।

(ग) योजना प्रतिवेदन बहुत लम्बे तथा शिल्पक प्रलेख हैं। सरकार इन योजना प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियाँ या अपने अधिकारियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखना उचित नहीं समझती है।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं उन अधिकारियों की संख्या जान सकता हूं जिन को फ्रांस की इस फ़र्म को देखने के लिए भेजा गया था ?

श्री सतीश चन्द्र : रक्षा मंत्रालय के बहुत से अधिकारी दूसरे कार्यों से विदेश जाते हैं। उन से समय समय पर इन फर्मों के कारखानों को भी देखने को कहा गया था जहां से योजना प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या माननीय मंत्री के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई विशेष अधिकारी नहीं भेजे गये और इस निरीक्षण पर कोई व्यय नहीं किया गया ?

श्री सतीश चन्द्र : आम तौर से यह अधिकारी दूसरे कार्यों से वहां गये थे। कुछ व्यय हो सकता है किया गया हो। मान लिया जाय कि एक अधिकारी से जो इंगलैण्ड में है जर्मनी का एक कारखाना देखने को कहा गया, उस के निरीक्षण के सम्बन्ध में कुछ व्यय तो करना ही पड़ेगा। परन्तु अधिकारी युरुप में थे जब उन से इन कारखानों को देखने को कहा गया था।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह व्यवसाय केवल मात्र सेना की मांगों की पूर्ति करने के लिये चलाया जायगा या इस का प्रयोग अन्य कार्यों के लिये तथा असैनिक आवश्यकताओं के लिये भी किया जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवाओं के लिये दूर संचारण यंत्र तथा वितन्तु सज्जा निर्माण करना है परन्तु यह कारखाना आंशिक रूप में रेलों, असैनिक संचारण सेवाओं तथा अखिल भारतीय रेडियो की मांगों की भी पूर्ति करेगा ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन विभागों से भी इस व्यवसाय को खड़ा करने में होने वाले व्यय में योग देने के लिये कहा गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : नहीं, श्रीमान् ।

विशेष न्यायाधिकरण

*१७१. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत बनाये जाने वाले तथा इस समय कार्य करने वाले विशेष न्यायाधिकरणों की संख्या ;

(ख) दिसम्बर १९५१ से ३१ दिसम्बर १९५२ तक इन न्यायाधिकरणों को प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों की संख्या ; तथा

(ग) ऐसे प्रार्थना पत्रों की संख्या यदि कोई हो जिन का अब तक निपटारा किया जा चुका है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) विभिन्न राज्यों में ३३४ दीवानी के न्यायालय इस अधिनियम के कार्यों के लिये न्यायाधिकरण नियुक्त किये गये हैं ।

(ख) ११,१३८

(ग) ८८९

'क', 'ख' तथा 'ग' उत्तरों में दिये गये आंकड़ों में आसाम, भूपाल, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा के आंकड़े संयुक्त नहीं हैं । इन राज्यों से सूचना प्राप्त होने की राह देखी जा रही है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ऐसे कोई वाद हैं तथा यदि हैं तो कितने हैं जिन में विस्थापित ऋणदाताओं ने विस्थापित ऋणीजनों के विरुद्ध अपनी अधियाचनाओं के लिए इन न्यायाधिकरणों का प्रयोग किया है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं अलग अलग आंकड़े नहीं दे सकता हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत के सुरक्षित ऋणदाताओं ने विस्थापित ऋणीजनों के विरुद्ध प्रार्थनापत्र दिये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत वे ऐसा कर सकते थे तथा उन्होंने अवश्य ही ऐसा किया होगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई इस प्रकार के अभिवेदन प्राप्त हुए हैं कि अधिनियम द्वारा अनुमत समय बहुत कम है तथा अधिनियम के संशोधन द्वारा या इसी प्रकार की किसी युक्ति द्वारा कुछ विस्तार प्रदान किया जावे ?

श्री ए० पी० जैन : किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक अभिवेदन अवश्य प्राप्त हुआ था और समाचारपत्रों में एक या दो टिप्पणियां निकली थीं । इस से अधिक कोई अभिवेदन नहीं प्राप्त हुआ ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई अभिवेदन इस प्रकार किये गये थे कि वह व्यक्ति जो भारत में निवास करते थे परन्तु जिनका धन्धा पाकिस्तान में था वह इस विधेयक से लाभ नहीं उठा सकते हैं और यह कि इस विधेयक का विस्तार इस प्रकार किया जावे कि ऐसे वाद भी उस में आ सकें ?

श्री ए० पी० जैन : विधेयक के प्रावधान उपस्थित हैं और मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इन प्रावधानों की ओर

दिलाऊंगा । वह विषय जिसका अभिवेदन किया गया था, विधेयक के प्रावधानों का विस्तार नहीं था परन्तु उस का विषय विधेयक के अन्तर्गत अनुमत समय था जिस में प्रार्थनापत्र दिये जा सकते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार विधेयक का संशोधन इस प्रकार करना चाहती है जिस से उन व्यक्तियों के वाद भी सम्मिलित हो सकें जो विभाजन के कारण वास्तव में पीड़ित हुए हैं परन्तु 'विस्थापित व्यक्तियों' की परिभाषा में नहीं आ सकते हैं इसलिये कि वास्तविक विभाजन के समय वे भारत में थे ?

श्री ए० पी० जैन : ऐसा कोई भी इरादा नहीं है ।

निर्वाचन के राजनैतिक दल

*१७४. **श्री पुन्नूस :** (क) क्या **विधि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन आयोग ने यह निश्चित कर दिया है कि कौन से राजनैतिक दल जिन्होंने पिछले सामान्य निर्वाचन में राष्ट्रीय दलों के रूप में भाग लिया था आगामी निर्वाचन के कार्यों के लिए इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे ?

(ख) यदि हां तो वे दल कौन से हैं ?

(ग) इस निश्चय का आधार क्या है?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री विस्वास) : (क) हां

(ख) वे दल हैं;

(१) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस;

(२) प्रजा सोशलिस्ट दल;

(३) भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ;

(४) आल इण्डिया भारतीय जन संघ

(ग) निर्वाचन आयोग ने ६ फ़रवरी १९५३ तथा १६ फरवरी १९५३ की अपनी गश्ती चिट्ठियों में जिनकी प्रतिलिपियां सदन पटल पर प्रस्तुत हैं इस निश्चय का आधार भली भांति व्यक्त कर दिया है । इन चिट्ठियों में निर्दिष्ट परिनियत अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत हैं **[देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या १]**

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को किसी राजनैतिक दल या दलों स इस आशय के कोई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं कि यह ३ की प्रतिशतता असाधारण रुप से अधिक है ?

श्री बिस्वास : मझे ऐसे किसी प्रतिवेदन के प्राप्त होने का ज्ञान नहीं है । हो सकता है किये गये हों । निर्वाचन आयोग ने मुझे इस सम्बन्ध में सूचित नहीं किया है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान् कि सरकार यह बता सकती है कि किन दलों ने एक प्रतिशत से अधिक वोट पाये हैं ?

श्री बिस्वास : मेरे पास ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिन से मालूम हो सके कि विभिन्न दलों ने कितने प्रतिशत वोट पाये हैं । मेरे पास केवल एक तालिका है उन दलों की जिन्होंने ३ प्रतिशत से अधिक मान्य वोट प्राप्त किये हैं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं श्री मान्, कि चूंकि एक से अधिक प्रान्तों में बीसियों दल कार्य कर रहे हैं और चूंकि उन को पहले से कोई सूचना नहीं थी कि निर्वाचन में प्राप्त वोटों की प्रतिशतता राष्ट्रीया मान्यता का आधार होगी, सरकार इस प्रश्न पर कम से कम आगामी निर्वाचन के लिये पुनः विचार करेगी ?

श्री बिस्वास : यह दलों से पूछने का प्रश्न नहीं है कि वे क्या चाहते हैं। निर्वाचन आयोग को निश्चय करना था कि कौन से न्यूनतम स्तर के अनुसार यह तय किया जाय कि इन दलों को राष्ट्रीय दलों के रुप में सन्तत रुप से मान्य समझे जाने के आधार पर उन्हें कोई चिन्ह प्रतिभाजित किया जावे या नहीं। यह न्यूनतम स्तर स्वयं निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया था। वस्तुतः श्रीमान, जनसहयोग की मात्रा एक उचित कसौटी है जिसके अधार पर यह निश्चय करना चाहिये कि कोई दल राष्ट्रीय दल विचार किया जावे या राज्यों के निर्वाचन कार्य के लिये राज्य दल समझा जावे।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन दलों को जो अर्जित कर दिये गये हैं कोई अवसर दिया गया कि ऐसा निश्चय विचाराधीन है तथा यदि वह चाहें तो अभिवेदन कर सकते हैं क्योंकि यदि निर्वाचन के पूर्व इन दलों को यह ज्ञात होता तो कई दल संयुक्त हो गये होते और इस प्रतिशतता को प्राप्त कर लेते ? अब निर्वाचन के बाद उनको बदनाम करना और उन की बात सुने बिना उनको निकाल फेंकना अन्याय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विवाद कर रहे हैं।

श्री बिस्वास : किसी दल को बदनाम करने का प्रश्न नही है। यह सारे दल मौजूद थे। यह बात इन सारे दलों के निश्चय करने की थी कि वे एक दूसरे के साथ समिश्रित हो जावें या नहीं। यह संमिश्रण एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय दल या दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिय नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए सोशलिस्ट पार्टि तथा किसान मजदूर प्रजा पार्टी को ले लीजिये। इन में से प्रत्येक दल ने गत निर्वाचन में ३ प्रतिशत से अधिक वोट पाये थे फिर भी वे संमिश्रित हो गये। यह संमिश्रिण किसी ऐसी मान्यता प्राप्त करने की इच्छा से नहीं किया गया था जिस क वे अन्य किसी रुप से अधिकारी न होते।

सरदार हुक्म सिह : मुझे खेद है कि मेरा प्रश्न उचित रुप से नहीं समझा गया मेरा प्रश्न था....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। इन दलों की मान्यता इन के संमिश्रिण के अधिकार पर निर्भर नहीं है। इन्हों ने स्वतंत्र रुप से निर्वाचन में भाग लिया। इन के पास आंकड़े मौजूद हैं। इन के पूछने का कोई प्रश्न नहीं है बस खतम।

सरदार हुक्म सिह : यह मेरा प्रश्न नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हम दोनों माननीय सदस्य को नहीं समझ पाय हैं तो हम समझ नहीं सकते हैं।

श्री नम्बियार : मेरा प्रश्न सीधा है, श्रीमान क्या मै जान सकता हूं कि सरकार ने इन दलों के नेताओं से किसी निश्चय पर पहुंचने के पूर्व कोई बात चीत की जिससे....

उपाध्यक्ष महोदय : 'जिससे नहीं।

श्री बिस्वास : मेरा विचार है कि निर्वाचन आयुक्त ने ऐसा नहीं किया।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान, कि निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय करने के पहले इन दलों की सदस्यता शक्ति के सम्बन्ध में कुछ पूछा था ?

श्री बिस्वास : इस कसौटी से काम नही लिया गया था।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान् कि उस आधार का निश्चय जिसके अनुसार दलों को

मान्यता दी जाने वाली थी केवल निर्वाचन आयुक्त की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया था?

श्री बिस्वास : यह कार्य निर्वाचन आयोग करता है तथा थोड़े समय के लिये निर्वाचन आयुक्त ही आयोग का कार्य कर रहा था।

खण्ड 'ग' राज्यों में प्रादेशिक आयुक्त

*१७५. **श्री पुन्नूस** : क्या राज्य मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें दिया गया हो:

(क) खण्ड 'ग' राज्यों में प्रादेशिक आयुक्तजनों के कार्यों की कार्य योजना की रूप रेखा;

(ख) उन विषयों का संकेत जिन के सबंध में प्रादेशिक आयुक्तजनों नें परामर्श के लिये भारत सरकार को निर्देश किये; तथा

(ग) इन विषयों पर भारत सरकार ने क्या परामर्श दिये ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग) तक: खण्ड 'ग' राज्यों में कोई भी प्रादेशिक आयुक्त नहीं है।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि क्षेत्र में मुख्य अधिकार-युक्त प्राधिकारी कौन हैं यदि वह आयुक्त नहीं हैं ?

डा० काटजू: भारत सरकार तथा खण्ड 'ग' राज्यों के सम्बन्ध खण्ड 'ग' राज्य अधिनियम के द्वारा शासित होते हैं जो १९५१ में संसद् द्वारा पास किया गया था तथा मैं माननीय सदस्य से उस को पढ़ने की प्रार्थना करूंगा और वे उस में सारी योजना वर्णित पायेंगे।

श्री पुन्नूस: क्या मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना कर सकता हूं कि वे मुझे उस अधिकारी का शुद्ध शासकीय नामोद्देश बतावे जो भारत सरकार तथा खण्ड 'ग' राज्यों के मध्य में स्थित हैं ?

डा० काटजू: खण्ड 'ग' राज्य ? ऐसा कोई अधिकारी नहीं है। वहाँ या मुख्या-युक्त होते हैं या उपराज्यपाल। इन के मध्य में हम वहां कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करते हैं।

खण्ड 'ख' तथा 'ग' राज्यों में भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा भारतीय आरक्षी सेवा

*१७६. **श्री पुन्नूस**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) खण्ड 'ख' तथा 'ग' राज्यों में भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा भारतीय आरक्षी सेवा की शक्ति तथा वेतन मान-मान, तथा

(ख) काम पर लगे हुए अधिकारियों में से शक्ति निर्धारित करने से पूर्व छांटे जाने वाले अधिकारियों की कुल संख्या और छांटी हुई कमकर मण्डली में से संवरण किये जाने वाले अधिकारियों की कुल संख्या ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २**]

विन्ध्य प्रदेश के अतिरिक्त किसी खण्ड 'ग' राज्य में इस समय कोई भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय आरक्षी सेवा संवर्ग नहीं है। समय समय पर इन सेवाओं के अधिकारी अपने पितृ संवर्ग से प्रति नियुक्त के द्वारा कुछ खण्ड 'ग' राज्यों में कार्य करने के लिये भेजे जाते हैं।

(ख) इन संवर्गों की शक्ति सम्बन्धित राज्यों की आवश्यकता के आधार पर निश्चित की गई है तथा विचार किये गये या संवरण किये गये अधिकारियों की संख्या पर कोई भी ध्यान इस सम्बन्ध में नहीं दिया गया। ऊपर सूचना देने वाला विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है। [**देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ३**]

श्री पुन्नूस: विवरण संख्या १ तत्सम्बन्धी राज्यों के भारतीय प्रशासनीय सेवा, तथा भारतीय आरक्षी सेवा अधिकारियों की संख्या देता है अर्थात हैदराबाद ७२, मैसूर ४५, ट्रावनकोर कोचिन २१ और इसी प्रकार और आगे। यह आवंटन किस आधार पर किया गया है? क्या यह हर राज्य की जन संख्या के आधार पर किया गया है या शिक्षा के सामान्यस्तर पर या प्रत्येक राज्य की क्रमशः आवश्यकताओं पर किया गया है?

श्री दातार: यह राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। आवश्यकताओं में वास्तविक अधिकारियों के साथ साथ वह भी अधिकारी सम्मिलित होते हैं जो संचित रक्खे जाते हैं साथ ही साथ वह अधिकारी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

श्री पुन्नूस: विवरण संख्या २ में अधिकारियों की संख्या जो छांटे गये तथा जो संवरण किये गये दी गई है। बहुत बड़ी संख्या शेष रह गई है। एक मामले में २० की परीक्षा ली गई तथा केवल ४ संवरण किये गये। यह संवरण किस आधार पर किया गया है? उन को छांटने की क्या आवश्यकता थी जब वे पहले से काम पर लगे हुए थे . . .

श्री दातार: जहां तक संवरण का सम्बन्ध है यह एक दुहरी क्रिया थी। पहले अधिकारी स्थानीय मण्डल द्वारा संवरण किये गये—सम्बन्धित राज्य द्वारा गठित स्थानीय मण्डल—और उस के बाद भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेष भर्ती मण्डल था और कसौटी जिस पर ध्यान दिया गया वह उस विशेष अधिकारी के भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा भारतीय आरक्षी सेवा की सदस्यता की योग्यता की कसौटी थी।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि ट्रावनकोर-कोचिन सरकार की प्रार्थना के कारण भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा भारतीय आरक्षी सेवा अधिकारियों की संख्या २१ तथा ११ निश्चित की गई?

श्री दातार: हां, प्रत्येक राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया था ओर उन की सम्मति के बाद यह संख्याएं निश्चित की गई हैं।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि यह व्यक्ति गुप्त प्रतिवेदनों के आधार पर या उन के आधार पर जिसे अधिकारियों का निजी अभिधलेख कहा जाता है संवरण किये गये हैं?

श्री दातार: मुख्य रूप से उन के अपने अनुभव तथा प्रशासी कुशलता के आधार पर।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि सरकार को ज्ञान है कि कुछ राज्यों में, विशेषकर मैसूर में, इस कार्य के लिये एक से अधिक तालिकाएं तय्यार की जाती हैं?

श्री दातार: हमें ज्ञात नहीं है:

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि किस

विशेष कारण से मैसूर राज्य के भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा भारतीय आरक्षी सेवा की संख्या ट्रावनकोर-कोचिन की अपेक्षा दुगनी है ?

श्री दातार: सब से पहले तो यह मैसूर की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ।

आयकर जांच आयोग

*१७८. **श्री बर्मन**: क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४९ तक आय कर जांच आयोग द्वारा जांचे गये या निपटाये गये मामलों की संख्या जिन का तदुपरान्त आगामी वर्षों में अनुकरण किया गया; तथा

(ख) ऐसे करदाताओं की संख्या जो १९४९ के बाद फिर कर अपवंचन करते हुए पकड़े गये ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): (क) भली प्रकार से मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं। ३१ दिसम्बर १९४९ तक आयोग द्वारा निपटाये गये मामलों की कुल संख्या १०५ है। जांच आयोग अधिनियम १९४७ की धारा ३ (ख) के अन्तर्गत आयोग के लिये उस मामले के सम्बन्ध में किये गये अपने प्रतिवेदन या अन्तरंग प्रतिवेदन की तिथि के पहले के सब या एक कर निर्धारण के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन देना अपेक्षित है । इस आयोग के लिये संम्भव नहीं है कि इन मामलों में जिन में अन्तिम प्रतिवेदन तय्यार किये जाते हैं आगामी वर्षों के कर निर्धारण को भी ले सकें; तथापि आयोग अपने मौलिक प्रतिवेदन द्वारा लिये गये वर्षों के सम्बन्ध में और भी अधिक जांच कर सकता है यदि उसका प्रतिवेदन अन्तरंग है या जिस मामले में धारा ८ (क) के अन्तर्गत व्यवस्था के निबन्धन उसे ऐसा करने का अधिकार सौंपे हैं। उस काल के अपवंचनों की जांच करना, जो आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी वर्षों के बाद के हैं, आयकर विभाग का कर्तव्य है ।

फिर भी यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वह मामले जिन के सम्बन्ध में आयोग ने प्रतिवेदन दिया है आगामी वर्षों में कर प्राप्त के सम्बन्ध में उन की जांच होती रही है या नहीं तो इसका उत्तर यह है कि यह कार्य आयकर विभाग द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ।

(ख) 'क' खण्ड के उत्तर में दिये गये कारणों से आयोग ने उन मामलों के सम्बन्ध में अपबंचन पकड़ने का प्रयास नहीं किया जिन में वह अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे चुका है । ऐसे मामलों की संख्या के सम्बन्ध में जिनमें आयकर विभाग द्वारा अपबंचन खोजे गये कोई जानकारी तत्क्षण प्राप्य नहीं है ।

श्री बर्मन : श्रीमान्, पहले स्पष्टीकरण प्रश्न । मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच आयोग द्वारा कितने मामले जांच कर के या आपसी समझौता करके अर्थात कुछ करदाताओं द्वारा स्वयं किये जाने वाले प्रकटीकरण के फलस्वरूप निपटाये गये अनुकरण करने के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न ठीक ऐसा ही था जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा किया जाता है अर्थात् मैं जानना चाहता था कि १९४९ तक आयोग द्वारा कितन मामले निपटाए गये तथा उन में से कितने मामलों का आयकर विभाग ने बाद में यह पता लगाने के लिये

अनुकरण किया कि वह व्यक्ति जिन्होंने एक बार अपबंचना की थी बाद में उन्होंने ठीक ठीक विवरणियां भेजी या नहीं और यह कि आयकर विभाग ने तदोपरान्त किसी अपबंचन का पता लगाया। यह मेरा सीधा सा प्रश्न था। मुझे नहीं पता मेरे प्रश्न में कौन सी उलझन है।

श्री त्यागी : श्रीमान, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं आयकर जांच आयोग का यह कार्य नहीं है कि उस अपवंचन का पता लगावे जो कि इन करदाताओं ने जांच आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन देने के उपरान्त किये हों। इसके अतिरिक्त यह सारा कार्य आयकर विभाग के सुपुर्द है और जैसा मैं कह चुका हूं उन मामलों में जिन में आयकर जांच आयोग अपना प्रतिवेदन दे चुका है उनका आयकर विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रचलित क्रम के अनुसार अनुकरण किया जाता है। जहां तक १९४९ तक आयोग द्वारा प्रतिवेदित मामलों की संख्या का प्रश्न है मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनकी संख्या १०५ है। अपने माननीय मित्र की जानकारी के लिये मैं कह सकता हूं -- वे यह भी जानना चाहते थे कितने मामले समझौते द्वारा निपटाये गये तथा कितने जांच के द्वारा— नये आंकड़े यह हैं; आयोग द्वारा ६८५ मामले समझौता कर के, तथा १६८ मामले जांच करने के बाद निपटाये गये।

श्री वर्मन : क्या इन में से किसी मामले में जो १९४९ में तै किये गये थे, आयकर विभाग की तदोपरान्त अनुकरण प्रक्रिया द्वारा पुनः अपवंचन का अपराध पकड़ा गया ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, इन में से अधिकतर मामलों में, नया कर निर्धारण पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमें, जांच आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन के लिये कई वर्ष तक राह देखनी पड़ी। गत वर्षों के सम्बन्ध में आयोग के निर्णय हो जाने पर ही हम आगे के वर्षों का कर निर्धारण कर सकते थे तथा आगे के वर्षों का कर निर्धारण अभी हो रहा है। यदि माननीय जानने के लिये उत्सुक हैं तो मैं उक्त विभाग से साधारण रीति से जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री फीरोज गांधी : क्या मैं जान सकता हूं कि जांच के फल स्वरुप १९५२ में कितनी धन राशि एकत्रित हुई ?

श्री त्यागी : मेरे पास १९५० के आंकड़े नही हैं।

श्री फीरोज गांधी : १९५२ के सम्बन्ध में ?

श्री त्यागी : अब तक प्राप्त होने वाला कर २३ करोड़ है। अब तक जमा होने वाली धन राशि ६·१० करोड़ है मेरे पास फुटकर आंकड़े नही हैं।

श्री फीरोज गांधी : मैं १९५२ के आंकड़े जानना चाहता हूं और यह नहीं जानना चाहता कि आयोग की नियुक्त की तिथि से अब तक के कुल आंकड़े कितने हैं ?

श्री त्यागी : मेरे पास अलग अलग आंकड़े नही हैं।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उन व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करने को तय्यार है जो जांच आयोग द्वारा कर अपवचन के अपराधी पाये गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुधा किया जा चुका है यह नीति का मामला है।

श्री ए० सी० गुहा : यह नीति का मामला नही हैं, श्रीमान मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार नाम प्रकाशित करने को तय्यार है।

श्री त्यागी : जब तक आयकर अधिनियम का संशोधन न किया जाय मुझे भय है कि मुझे नाम बताने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं १९५२ का निकाला हुआ गुप्तधन जान सकता हूं ?

श्री त्यागी : यदि मेरे माननीय मित्र का आशय विभाग द्वारा प्रचालित एच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं से है तो एच्छिक प्रकटीकरण की कुल संख्या २०७०९ है । अर्थात २०७०९ करदाताओं ने एच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं से लाभ उठाया तथा इस प्रकार होने वाली आय ७४·६९ करोड़ थी ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं उन व्यक्तिओं के नाम जान सकता हूं जिन्होंने यह धन राशि प्रकट की थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे कह चुके हैं कि जब तक आयकर विधि संशोधित न किया जाये वह नाम बताने के अधिकारी नहीं हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : जांच आयोग ने बहुत से प्रश्न परिचारित कियें । क्या यह सत्य नहीं है कि इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने पर जांच आयोग ने नामों के प्रकाशित करने का सुझाव रक्खा था ?

श्री त्यागी : मुझे इस का सत्यानवेषण करना पड़ेगा । मुझे भय है कि उन्हों ने ऐसा सुझाव नहीं दिया परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ने प्रतिवेदन पढ़ा है । मझे विश्वास है कि आयोग ने यह सुझाव रखा है । यदि मेरे माननीय मित्र-मंत्री चाहते हों तो मैं उन्हें ठीक ठीक पृष्ट बताऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुझाव दूंगा कि माननीय सदस्य उन्हें पृष्ट संख्या बता दें ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य नहीं है कि जांच के दौरान में जांच आयोग को ऐसे कई व्यक्तियों के मामले मिले जिन के पास द्विशुणित बहीखाते थे ? यदि ऐसा है तो सरकार ने इस प्रकार अर्जित ज्ञान के फल स्वरूप अन्य सरकारी विभागों को जैसे वे जो विक्रय आदेश देते हैं और वे जो विक्री कर इत्यादि का कार्य करते हैं सावधान करने के लिये क्या उपाय किया ?

श्री त्यागी : इस का प्रबन्ध अभी भी है । जहां अन्य विभागों को कर दाताओं के ऐसे मामालों से संविदा इत्यादिक के सम्बन्ध में कार्य पड़ता है सरकार द्वारा ऐसे विभागों को आदेश जारी किये गये हैं कि विभिन्न व्यक्तियों को की जाने वाली देनगी के सम्बन्ध में आयकर विभाग को सूचित करें । एक केन्द्रीय दफ्तर है जहां यह सारी सूचनाएं एकत्रित की जाती है, छांटी जाती हैं, सारणीबद्ध की जाती है तथा विभिन्न कर निर्धारक अधिकारियों को परिचारित की जाती हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न को समझा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो वह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि किस राज्य से सब से अधिक एकत्रित धन आया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आयकर विभाग के प्रशासन पर कोई सामान्य वार्ता नहीं है ।

श्री वैलायुधन : उन्हों ने एक तालिका दी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो दुर्भाग्य की बात है प्रश्न केवल उन कर दाताओं की संख्या के सम्बन्ध में था जिन्हों ने कर अपवंचना की है। माननीय मंत्री को चाहिये था कि उसी का उत्तर देते तथा बैठ जाते। तब दूसरे प्रश्नों की बारी न आती।

श्री त्यागी : मैं कह चुका हूं कि यह जानकारी एकत्रित करना कठिन है चूंकि...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस की ओर निर्देश नहीं कर रहा था। मैं तो माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न की सीमित प्रकृति की ओर ले जा रहा था।

अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

विश्व धनागार से ऋण

*१७९. **श्री नानादास :** क्या **वित्त** मंत्री २६ फ़रवरी, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या २२० तथा १२ सितम्बर, १९५१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६६ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा बतायेंगे :

(क) क्या विश्व धनागार से भारत द्वारा अन्य कोई ऋण प्राप्त किया गया है यदि हां तो यह ऋण किस कार्य के लिये लिया गया है ;

(ख) सूद की देनगी तथा ऋण के प्रतिशोधन की शर्तें ;

(ग) इन की वितरणरीति से सम्बन्ध रखने वाली इस ऋण से सलंग्न कोई अन्य शर्तें ;

(घ) क्या यह ऋण केवल संयुक्त राष्ट्र अमरीका में सामान विक्रय करने में प्रयोग किये जाने के लिये दिये गये हैं ; तथा

(ङ) यदि नहीं तो क्या यह ऋण केवल संयुक्त राष्ट्र अमरीका में विक्रय करने के लिये प्रयोग में लाये जाने के लिये दिये गये हैं।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख) . मैं अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर उपस्थित करता हूं **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ग) इस ऋण से सलंग्न अन्य मुख्य शर्तें एक मात्र यही हैं :—

(१) इस ऋण का लाभ केवल मात्र उन्हीं वस्तुओं के विक्रय तथा आयात करने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा जिन के लिये उक्त ऋण धनागार से लिया गया था।

(२) उन विशिष्ट वस्तुओं का निश्चय जो इस ऋण के लाभ से विक्रय की जायेगी भारत सरकार तथा धनागार की संमति से होगा। ऐसी व तुओं की तालिका समय समय पर उभय पक्षों की संमति से संशोधित की जा सकती हैं।

(३) इस ऋण के लाभ से विक्रय की जाने वाली वस्तुएं आंशिक रूप से पूर्ण रूप से भारतीय सीमा के भीतर ही केवल मात्र निर्दिष्ट योजनाओं के प्रचालन तथा पूर्ति के लिये प्रयोग में लाई जावेंगी।

(घ) नहीं, श्रीमान्।

(ङ) इन में से किसी भी ऋण का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है।

श्री नानादास : क्या मैं वह विभिन्न देश जान सकता हूं जहां हम ने ऋण की धन राशि व्यय की है जब से हम ने विश्व धनागार से ऋण प्राप्त करना आरम्भ किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस प्रश्न की सूचना चाहता हूं फिर भी क्रय वस्तुओं का अधिक भाग डालर क्षेत्र से आया है।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि जो ऋण हम लेते हैं उसके लिये हमें सूद किस दर से देना पड़ता है, साथ ही यह भी कि इस धन राशि पर कोई आय-कर या अन्य कर देना पड़ता है या यह कि यह धन हमें उसी देश में चुकाना पड़ेगा जहां से हम ऋण प्राप्त करते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : सूद पर आयकर देने वाला प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। निश्चय ही, हमें अन्तर्राष्ट्रीय धनागार को सूद देना पड़ता है और चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय धनागार संयुक्त राष्ट्र अमरीका में स्थित है इसलिये देनगी भी डालर ही में करनी पड़ती है। ऋण डालरों में या और सूद भी डालर ही में देना पड़ता है तथा इसी प्रकार प्रतिशोधन भी। जहां तक सूद के दर का प्रश्न है, इसमें १ प्रतिशत कमीशन भी सम्मिलित है जो वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय धनागार के लिये है जिसमें हम भी साझीदार हैं। उदाहरण के लिये उस ऋण के लिये जो इन्डिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिये सम्मोदित किया गया है और जो १५ वर्ष के लिये दिया गया है इस एक प्रतिशत को मिला कर सूद की दर ४ ३/४ प्रतिशत है। दामोदर घाटी निगम के मामले में जिसमें २५ वर्ष के लिये ऋण दिया गया है सूद की दर ४·७८ प्रतिशत है।

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता था कि सूद की रकम पर जो इस ऋण से प्राप्त होती है भारतीय सरकार कोई कर लेती है हमें कोई आयकर मिलता है या सारी रकम की देनगी वहीं करनी पड़ती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जहां तक सम्बन्ध है, उनके सारे व्यवहार कर मुक्त होते हैं।

श्री नानादास : भारत के लोहा तथा इस्पात के विकास के कार्यक्रम का कुल व्यय कितना होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : क्या वे भारत में लोहे तथा इस्पात के कारखानों पर होने वाले कुल व्यय के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं या उस कारखाने पर जिसके लिये यह ऋण लिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह कारखाना जिसके लिये यह ऋण लिया गया है।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे लिये यह बताना सम्भव नहीं है। यह ऋण इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिया गया है। मेरे माननीय मित्र को ज्ञात होगा कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ठीक ठीक कितना व्यय करने का विचार करती है। जो कुछ मैं कह सकता हूं वह केवल इतना है कि इसका वैदेशिक विनिमय वाला भाग ३१·५ दस लाख डालर होना चाहिये क्योंकि ऋण का धन इतना ही है।

श्री० एन० श्री कान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि उस ऋण की कुल धन राशि कितनी है जो कि हमने अब तक विश्व धनागार से प्राप्त किया है तथा इस ऋण की उस वास्तविक धनराशि के साथ प्रतिशतता जो कि हमने उस धनागार को अपने भाग के रूप में दिया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : पहले प्रश्न का उत्तर अनेक बार दिया जा चुका है। समय समय पर उस कुल ऋण के सम्बन्ध में जो हमने लिया है विवरण दिये जा चुके हैं। मेरा विचार है कि इनकी संख्या ६९ दस लाख डालर है परन्तु इस समय मैं स्मरण से बता रहा हूं यह ऋण इस प्रकार है। साथ ही दो ऋण और हैं जो अभी तक प्रभाव में नहीं आये हैं क्योंकि कुछ कार्यवाइयां अभी पूरी होने को है। एक ३१·५ दस लाख डालर का है तथा दूसरा १९·५ दस लाख डालर का है। प्रश्न का दूसरा भाग मेरी समझ में नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार द्वारा धनागार में कितनी पुंजी विनियोजन की गई हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमारा निर्धारित भाग ४०० दस लाख डालर है जिसमें से १ प्रतिशत सोने में अदा किया जाता है तथा शेष का १८ प्रतिशत रुपये में अदा की जाने वाली उत्तरवादिता है, अर्थात वह केवल उसी दशा में प्रयोग किये जाने वाला है जब हम सहमत हों कि उस रुपये के भाग से ऋण दिया जावे।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उस दर का पता लगाया है जिसके अनुसार विश्व धनागार ऋण आमंत्रित करता है। यदि हां तो यह दर क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हां, हम दर जानते हैं। यह दर बदला करता है। यह दर ३ प्रतिशत से आरंभ हुआ। उन्होंने न्यूयार्क में दो ऋण आरंभ में आमंत्रित किये एक २ ३/४ प्रतिशत की दर से तथा दूसरा ३ प्रतिशत की दर से। इसके उपरान्त, मेरा विचार है कि उनको अधिक दर से सूद देना पड़ा। परन्तु यह निश्चय ही ३½ प्रतिशत से कुछ कम ही होगा। अब यदि आप इसमें १ प्रतिशत कमीशन को जोड़ दें तो ४½ प्रतिशत हो जायगा तथा इसके बाद ¼ प्रतिशत संचालन का खर्च रह जाता है इस प्रकार सूद की कुल दर बन जाती है इस समय इसमें केवल ३ अंग हैं— वह दर जो कि वास्तव में वह लेते हैं, १ प्रतिशत कमीशन तथा १/४ प्रतिशत संचालन का खर्च।

श्री नम्बियार : जो धन हमने विश्व धनागार में विनियोजन किया है उसके लिये हम सूद किस दर से पाते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : यह कोई बिनियोजन निगम नही ह। यह एक सहकारी संस्था है।

श्री नम्बियार : हमें सूद किस दर से मिलता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमें कोई सूद नही मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे निगम में कोई भी विनियोजन सूद नही प्राप्त करता है यह एक भाग है।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका में लोकऋण की प्रचलित सूद की दर क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं। साथ ही यह सार्वजनिक ज्ञान की बात भी है। कोई भी प्रकाशन समय समय पर संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सूद की दर माननीय सदस्य को बतायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

अंगरक्षक

***१८१. श्री वी० पी० नायर** : क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि सेना अधिकारियों को उच्च अधिकारियों के व्यक्तिगत अंग रक्षक के रूप में कार्य करने के लिये समादिष्ट किया जाता है;

(ख) यदि ऊपर के खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, एक सेना अधिकारी को अंगरक्षक के रूप में सेवा करने के लिये किस पंक्ति का होना चाहिये ;

(ग) १ जनवरी १९५३ में जल-थल तथा नभ सेनाओं में अंगरक्षक के रूप में काम करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या;

(घ) उच्च अधिकारियों के इस प्रकार के अंगरक्षकों के कार्यों की प्रकृत; तथा

(ङ) उन अधिकारियों की न्यूनतम पंक्ति जो अंगरक्षक के कार्य पर नियुक्त किये जाते हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) तथा (ख). निम्न लिखित व्यक्तियों के व्यक्तिगत कर्मचारी वर्ग में सेना अधिकारियों की, अंगरक्षक के रूप में नियुक्ति अधिकृत है :—

(१) राष्ट्रपति

(२) खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) राज्यों के प्रधान

(३) सेवा कर्मचारी वृन्द के प्रधान सेनापति, सेना (नायक), सेना तथा सैन्यदल नायक (लेफ्टिनेण्ट जेनरल) तथा डिवीजनल तथा क्षेत्रज कमाण्डर (मेजर जेनरल)

(ग) ४० सेना अधिकारी,

३ जलसेना अधिकारी, तथा

३ वायुसेना अधिकारी

(घ) अपने अधिकारियों को उन के शासकीय, तथा सामाजिक कार्यक्रम को पूरा करने में हिदायत देना।

(ङ) सेना के लफ्टिनेण्ट तथा भारतीय जलसेना भारतीय वायुसेना के समान पंक्ति वाले अधिकारी।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि इन अंगरक्षकों के कार्यों मे इन अधिकारियों के घरेलू कार्य तथा व्यक्तिगत कार्य भी सम्भिलित है ?

श्री सतीश चन्द्र : इन का कार्य अपने अधिकारियों को शासकीय तथा सामाजिक कार्य क्रम पूरा करने में सहायता देना है, उन के आमत्रंण का प्रबन्ध करना, तथा निमंत्रण पत्र जारी करना इत्यादि है।

श्री वी० पी० नायर : क्या आप इन में व्यक्तिगत कार्य सम्मिलित नहीं करते हैं ? आप ने बताया है कि इन के कार्य में सामाजिक कार्य इत्यादि सम्मिलित हैं।

श्री सतीश चन्द्र : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का व्यक्तिगत कार्यों से क्या तात्पर्य है।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि इन अंगरक्षकों के कार्य किसी सैनिक आदेश, या राजकीय आदेश में निर्धारित किये गये हैं तथा यदि ऐसा है तो क्या उन में यह स्पष्ट रूप से वर्णन है कि इन का प्रयोग केवल शासकीय तथा सामाजिक कार्यों के लिये करना चाहिये ?

श्री सतीश चन्द्र : हाँ, मैं ने यही कहा है।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को यह मालूम है कि बहुत से अंगरक्षक उच्च अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत कार्यों यहां तक कि बाजार हाट के लिये प्रयोग किये जाते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : सरकार को यह नहीं मालूम ।

शिल्प विज्ञानी अध्ययन

*१८२. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री सदन पटल पर रक्खेंगे (१) १ जूलाई १९५३ को भारतीय विश्व विद्यालयों में विभिन्न शिल्प विज्ञानी अध्ययनों में रत विद्यार्थियों की संख्या ज्ञातव्य एक विवर्ण तथा (२) शिल्प विज्ञानी विषयों की एक तालिका जिन में भारतीय विद्यालय भारत में पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं नहीं दे सकते हैं ?

(ख) भारतीय विश्व विद्यालय ऊपर के खण्ड (क) (२) में निर्दिष्ट विषयों में भारतीय विद्यार्थियों कों स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधाऐं देने के योग्य हो सके इस के लिये सरकार भारतीय विश्व विद्यालयों को सहायता पहुचाने के कौन से उपाय करने का निश्चय करती हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) (१) अपेक्षित सूचना तत्क्षण प्राप्य नहीं है तथा जैसे ही एकत्रित हो जायगी मैं प्रस्तुत करूंगा ।

(२) शिल्पी शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् इस समय जांच कर रही है कि ऐसे कौन से विभिन्न विषय हैं जिन में उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान की हमारे देश में प्राप्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं ऐसे विषयों की एक प्रयोगात्मक सूची जो कि परिषद के विचाराधीन है सदन पटल पर उपस्थित है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]**

५)

(ख) यह विषय शिल्पी शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् के विचाराधीन है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय मंत्री किसी ऐसी तिथि का सुझाव रख सकते हैं जब तक वे हमें यह जानकारी दे सकेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इसी समय कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता हूं; हम यह जानकारी जल्दी से जल्दी दे देंगे ।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारतीय विश्व-विद्यालयों में शिल्प विज्ञानी अध्ययन की पर्याप्त सुविधायें देकर इस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करने की सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह सारा प्रश्न जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं शिल्पविज्ञानी अध्ययन की अखिल भारतीय परिषद् के विचाराधीन है । अभी निकट वर्तमान में उनकी एक बैठक हुई है तथा उन्होंने इस सारे प्रश्न पर विचार करने के लिये एक छोटी सी समिति बनाई है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह तालिका किस प्रकार तैयार की गई थी ? यह अन्य संस्थाओं के परामर्श से तैयार की गई थी या यह सांचिवक में तैयार की गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय : यह तालिका शिल्पशिक्षा की अखिल भारतीय परिषद्

द्वारा तैयार की गई थी जिस में दोनों प्रकार के सरकार के भीतर के व बाहर के शिल्पक विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व है ।

निर्वाचन प्रार्थनापत्र

*१८३. **श्री एस० एन० दास** : क्या मैं **विधि** मंत्री जन प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत गठित विभिन्न निर्वाचन न्यायाधिकरणों द्वारा अब तक निपटाये गये निर्वाचन प्रार्थनापत्रों की कुल संख्या, जिस में राज्य क्रम से लोक सभा तथा विभिन्न विधान मण्डलों के आंकड़े पृथक् रुप से दिये गये हों बताने की कृपा करेंगे ?

विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : १ फरवरी १९५३ तक विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाये गये निर्वाचन प्रार्थना पत्रों की संख्या ज्ञातव्य एक विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान इन मूकदमों के निपट जाने पर कितने न्यायाधिकरणों ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है ।

श्री बिस्वास : वस्तुतः इस सारिणी से ज्ञात होंगी उन प्रार्थनापत्रों की संख्या जो निपटाई जा चुकी हैं तथा उन प्रार्थनापत्रों की संख्या जो निपटाने के लिये अभी शेष हैं । न्यायाधिकरणों ने अभी तक सारे प्रार्थना-पत्रों को नहीं निपटाया है । इस का अर्थ है कि न्यायाधिकरणों को अब भी कार्य करते रहना है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कितने न्यायाधिकरणों का गठन हुआ था और इन ८६ मुकदमों के निपट जाने से क्या कुछ न्यायाधिकरण अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बताया है कि अनुसूची में उपस्थित किये जाने वाले मुकदमों की संख्या तथा निपटाये जाने वाले मुकदमों की संख्या दी हुई है । तदोपरान्त कोई प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं किया जा सकता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कितने मुकदमों में उच्च न्याया-लयों द्वारा निकाले गये स्थगन आदेशों से न्यायाधिकरणों को अपना कार्य स्थगित करने का आदेश दिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात नहीं होता है कि यह प्रश्न उत्पन्न होता है ।

श्री बिस्वास : एक आदेश का प्रकाशन मदरास के उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से स्थगित कर दिया गया है

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उन कारणों पर विचार किया है जिन से निर्वाचन न्यायाधि-करणों द्वारा निर्वाचन प्रत्यादिष्ट कर दिये गये हैं तथा क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि अधिकतर मुकदमों में निर्वाचन, नाम-निर्देशन पत्रों के अनुचित रूप से अस्वीकृत किये जाने के कारण प्रत्यादिष्ट किये गये हैं ?

श्री बिस्वास : यह अतारांकित प्रश्न (संख्या १७२) का विषय है जिस का उत्तर सदन पटल पर प्रस्तुत है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्रार्थनापत्रों के निपटाने के लिये कोई अवध सीमा निश्चित है ?

श्री बिस्वास : नहीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं इन प्रार्थनापत्रों को निपटाने में लगने वाला न्यूनतम तथा अधिकतम समय जान सकता हूं ?

श्री बिस्वास : न्यूनतम तथा अधिकतम समय बताना बहुत कठिन है । यह तो मुकदमे की प्रकृति पर निर्भर करता

है। परन्तु इन न्यायाधिकरणों को सुझाव यही दिया गया है कि वे इन मुकदमों को जल्दी से निपटाने का प्रयत्न करें।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि विभिन्न न्यायाधिकरण एक ही समान विधिबिंदुओं पर एक दूसरे के विरोधी निर्णय दे रहे हैं ?

श्री बिस्वास : यदि प्रश्न यह है कि इन न्यायाधिकरणों के निर्णयों के सम्बन्ध में समानता प्राप्त करने के लिये कोई उपाय किये जा रहे हैं तो इसके लिये उस समय की राह देखना होगी जब सारे प्रार्थना पत्र निपटा दिये जावें और तब सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

सरदार हुक्म सिंह : मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि विभिन्न न्यायाधिकरण परस्पर विरोधी निर्णय दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक निर्णय में दूसरे से अनेक अन्तर पाते हैं और यह 'सूचना पत्र' में प्रतिवेदित किया जाता है जो कुछ सार्वजनिक प्रलेख में प्रकाशित होता है उस की ओर यहां पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं

श्री बिस्वास : मैं जो कुछ कह सकता हूं वह केवल इतना ही है कि यह विषय विचाराधीन है और आगे भी इस पर विचार किया जायगा।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि यह न्यायाधिकरण आगामी निर्वाचन तक अपना कार्य करते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वे प्रार्थना पत्रों को निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

राज्य निर्मित व्यापारिक संस्थाओं के व्यय का लेखा परीक्षण

*१८५. **श्री गिदवानी** : (क) क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों से जन लेखा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में, कि नियंत्रक तथा महालेखेक्षक को राज्य निर्मित व्यापारिक संस्थाओं के व्यय के लेखा परीक्षण का अधिकार होना चाहिये, परामर्श किया है ?

(ख) यदि किया है तो राज्य सरकारों का इस सम्बन्ध में क्या मत है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). अभी यह विषय विचाराधीन है।

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत के महालेखेक्षक को राज्यों की आज्ञा के बिना उन के राज्य निर्मित व्यापारिक संस्थाओं का लेखा जांचने का अधिकार है ?

श्री सी० डी० देशमुख: हां उन को यह अधिकार प्राप्त है।

राज्यों को वार्षिक अनुदान

*१८६. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को वार्षिक अनुदान देने की परिस्थितियों तथा उन के प्रयोग के विषय के संबंध में जन लेखा समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : अभी यह विषय विचाराधीन है

जन लेखा समिति

*१८७. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार

जन लेखा समिति की सिफ़ारिशों पर विचार कर चुकी है ?

(ख) यदि कर चुकी है तो क्या लेखा परीक्षण को लेखा से पृथक् करने के कोई उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) हां, श्रीमान ।

(ख) अभी नहीं श्रीमान ।

फ़रीदाबाद के औद्योगिक कर्मचारी (हड़ताल)

*१८८. **श्री नम्बियार** : क्या पुनर्वास मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) यह सत्य है कि फरीदाबाद के औद्योगिक कर्मचारियों ने निकट वर्तमान में हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कौन सी व्यापारिक संस्थाओं से इसका सम्बन्ध है तथा कितने कर्मचारी इससे प्रभावित हुए हैं ;

(ग) हड़तालियों की मांगें क्या थीं; तथा

(घ) फरीदाबाद के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा किये गये या प्रस्तावित उपाय ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) तथा (ख). हां, शिल्पक विद्यालय के कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे । हड़ताल १८२ कर्मचारियों से आरम्भ हुई तथा उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़कर २५४ हो गई ।

(ग) कर्मचारियों की मांगें समय समय पर बदल रहीं थीं । मोटे रूप से इन का निम्नलिखित संक्षेप इस प्रकार दिया जा सकता है : —

(१) वेतन के उच्चतर मापमान; तथा

(२) मकानों के क्रयावक्रय मूल्य के सम्बन्ध में दातव्य अंशांशों की वसूली का स्थगन ।

(घ) (१) सेंट्रल आर्डीनेंस डिपो डेलही कैन्टोनमैण्ट , सेंट्रल वर्कशाप अमृतसर तथा डेलही स्टेट एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के कर्मचारियों को स्वीकार्य वेतन तथा भत्ते की दरों पर ध्यान देने के बाद फ़रीदाबाद के कर्मचारियों के लिये वेतन के नये परिमाप सम्मोदित किये गये हैं । वेतन के इन परिमापों के अतिरिक्त उन्हें महंगाई भत्ता पंजाबी दर से दिया जायगा ।

(२) व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया जायगा तथा जिसमें यह पाया जायगा कि सम्बन्धित व्यक्ति मकान के सम्बन्ध में दात्वय अंशांश का एक भाग या सम्पूर्ण देने के योग्य नहीं हैं तो उसे आवश्यक सहायता दी जायगी ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान, कि किसी स्थिति में हड़तालियों की संख्या १००० हो गई थी जिसका अर्थ हुआ उस क्षेत्र के समस्त औद्योगिक कर्मचारी ?

श्री ए० पी० जैन : नहीं ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान, कि इस बात पर ध्यान देते हुए कि उस क्षेत्र की जनसंख्या २७,००० है हड़ताली तथा उनके परिवारों को जोड़ने से सारी जनसंख्या हो जाती है ?

श्री ए० पी० जन : नहीं ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि सरकार उनकी प्रतिवेदनाओं के प्रतिकार पर शीघ्र ही विचार करेगी ?

श्री ए० पी० जैन : इन प्रतिवेदनाओं पर विचार किया जा चुका है तथा आवश्यकीय सहायता दी जा चुकी है ।

श्री नम्बियार : इन मनुष्यों के जीवन निर्वाह का क्या साधन है जो सभी शरणार्थी हैं यदि वे वृत्तिहीन हों ?

उपाध्यक्ष महोदय : कितने ही व्यक्ति वृत्तिहीन हैं ।

श्री नम्बियार : वे शरणार्थी हैं, उनके पास कोई भौमिक सम्पत्तियां तथा आय के अन्य साधन नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है ।

गाडगिल समिति प्रतिवेदन

*१८९. **श्री नम्बियार** : क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) वेतन के साथ महंगाई भत्ते के सांविलियन के मामले में गाडगिल समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ; तथा

(ख) सरकार समिति की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में अपना अन्तिम निर्णय करने का कब निश्चय करती है ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत): (क) तथा (ख). गाडगिल समिति का प्रतिवेदन अभी भी सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निश्चय घोषित किये जाने की आशा है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को निश्चय करने में कितना समय लगेगा क्योंकि समिति तीन मास पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है ?

श्री बी० आर० भगत : अवलोकन अपनी अन्तिम स्थिति में है तथा शीघ्र ही सरकार का निश्चय घोषित कर दिया जायगा ।

श्री नम्बियार : क्या माननीय सदस्य आश्वासन देंगे कि यह निश्चय किसी प्रकार भी कर्मचारीवर्ग के हितों को क्षति नहीं पहुंचाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कल्पित प्रश्न कैसा ?

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या आय व्यय लेखा पत्र प्रस्तुति के समय निश्चय घोषित करने का विचार है ?

श्री बी० आर० भगत : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता , परन्तु ऐसी आशा करता हूं ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों के मन में यह भय है कि निर्णय उनके विरुद्ध होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : तथा इसी लिये माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं कि उस पर विचार न किया जाना चाहिये ।

श्री बी० आर० भगत : नहीं, श्रीमान ।

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने के पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श करने का विचार रखती है ?

श्री बी० आर० भगत : इस विषय पर ध्यान देते समय समिति राज्य सरकारों के विचार प्राप्त कर चुकी है ।

विद्युदणु व्यवसाय

*१९०. **कुमारी एनी मस्करीन** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि एक फ्रांसीसी फ़र्म से भारत में विद्युदणु व्यवसाय खोलने के लिये एक संविदा किया गया है ?

(ख) इस संविदा की क्या शर्तें हैं ?

(ग) यह व्यवसाय किस स्थान में संस्थापित किया जायगा ?

(घ) कुल पूंजी उद्व्यय कितना है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां ।

(ख) संविदा एक विस्तृत प्रलेख है जिस के विभिन्न शिल्पक पहलू हैं । फ्रांसीसी फ़र्म सरकार की शिल्पक परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगी । आरम्भ में कारखाने के संस्थापन तथा संचालन के लिये कुछ शिल्पक देगी । वह भारत में तथा फ्रांस में, दोनों देशों में भारतीय कर्मचारी मंडल को शिक्षा देगी जिस से वे जितना शीघ्र हो सके फ्रांसीसी कर्मचारियों के हाथ से कार्य अपने हाथ में ले सकें । एक 'शिक्षा स्कूल' तथा 'एक अनुसन्धान तथा विकास विभाग' कारखाने के अवयव भूत अंग होंगे ।

(ग) तथा (घ). मैं माननीय सदस्या का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या १७० के 'क' खंड के, आज ही पहले दिये गये, उत्तर की ओर आकर्षित करूंगा ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं वह तिथि जान सकती हूं जब संविदा किया गया था ?

श्री सतीश चन्द्र: ११ दिसम्बर १९५२ को किया गया था ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं वह पूंजी जान सकती हूं जो भारत द्वारा अंशयान की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र: यह सर्वांग रुप से भारत सरकार की व्यापारिक संस्था होगी, किसी अन्य व्यक्ति ने पूंजी का कोई भाग अंशदान नहीं किया है ।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या मैं जान सकती हूं कि फ्रांसीसी के अतिरिक्त कोई और भी विशेषज्ञ इस से संलग्न है ?

श्री सतीश चन्द्र: नहीं । केवल फ्रांसीसी विशेषज्ञ हमें इस व्यापारिक संस्था के संस्थापन में सहायता देंगे यह सरकार द्वारा उसके अपने निजी कर्मचारियों से चलाई जायगी ।

श्रीमती ए० काले: क्या मैं जान सकती हूं कि कोई अवधि सीमा निश्चित है जब तक यह पूर्ण रुप से भारतीय व्यक्तियों द्वारा प्रबन्धित होने लगेगी । माननीय मंत्री ने बताया कि यह जल्दी से जल्दी फ्रांसीसी कर्मचारियों के हाथ से ले ली जायगी । मैं जानना चाहती हूं कि इसके लिये कोई अवधि सीमा नियुक्त है ।

उपाध्यक्ष महोदय: आरंभ से ही । यही उन्होंने कहा है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): यह इस समय तथा सदा ही भारतीय व्यक्तियों द्वारा प्रबन्धित होती रही है । कुछ मिथ्या भ्रम जान पड़ता है । यह परामर्शदाताओं की एक शिल्पक फर्म है । प्रबंध का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । इसका प्रबंध सदा ही सरकार द्वारा होता है ।

श्री मेघनाद साहा: क्या इसी से सम्बद्ध एक अनुसंधान तथा विकास विभाग है ?

श्री सतीश चन्द्र: हां श्रीमान् । मैं ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में यही कहा है ।

श्री के० के० बसु: क्या म जान सकता हूं कि उन परामर्शदाताओं का दिया हुआ परामर्श नियोगीय होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: परामर्श तो परामर्श ही है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: माननीय सदस्य हास्य तथा बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं । यह एक महान योजना है, सरकार द्वारा आरंभ की जाने वाली अब तक की सारी योजनाओं में सब से महान जिस पर कार्य आरंभ करना, भारत सरकार या अन्य किसी व्यक्ति के लिये उच्चतम शिल्पक परामर्श के बिना असंभव है । हम ने बड़ी सावधानी से इस बात पर विचार किया है कि कौन सी फर्म या विदेशी परामर्शदाता

इस के उपयुक्त होंगे । हमने फ्रांस, इंगलैण्ड अमरीका तथा एक दो और देशों की जिन के नाम मैं भूल गया हूं, फ़र्मों पर विचार किया । तथा बहुत सोच विचार के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे । यह व्यक्ति हमें कारखाना निर्माण करने में सहायता देने के लिये तथा भारतीय कर्मचारियों को शिक्षा देने के लिये शिल्पक परामर्शदाताओं के रूप म आते हैं और तब अपना कार्य समाप्त करते हैं ।

फ़ोर्ड स्थापना दान

*१९१. **कुमारी एनी मस्करीन :** (क) क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने अमरीका से फ़ोर्ड स्थापना दान के द्वार कौन सी धन राशि प्राप्त की है ?

(ख) कौन कौन से विभाग हैं जिन म यह कोष आवंटित है ?

(ग) इस धन राशि पर नियंत्रण किस का ह ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) (क) फ़ोर्ड स्थापना ने १,६९,३८,४६२) रु० देना स्वीकार किया है जिस में से ६०,४६,२६०) रु० की रकम अब तक प्राप्त हुई है ।

(ख) उक्त कोष निम्नलिखित योजनाओं की स्थापना के लिये आवंटित है :

(१) १० पाएलाट विकास योजनायें (२) ५ शिक्षण तथा विकास योजनाएं	५७,७२,००० रु०

(३) कृषि कालिजों से सम्बद्ध ५ प्रसार पार्श्व २१,५५,००० रु०

(४) २५ विस्तार शिक्षण केन्द्र ७,११,८ ६२ रु०

(ग) प्राप्त होने वाला धन महालेखापाल केन्द्रीयराजस्व के निक्षेपलेखा में रक्खा जाता है जो हिसाब किताब रखते हैं उपर्युक्त विभागों के अन्तर्गत अलग अलग योजनाओं को धन का वितरण भारत सरकार द्वारा भारत के फ़ोर्ड स्थापना प्रतिनिधि की संमति से किया जाता है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि यह धन अंशांशों में प्राप्त होता है ?

श्री बी० आर० भगत : मैं बिना देखे भाले नहीं बता सकता परन्तु यह धनराशियां समझौते द्वारा प्राप्त होती हैं और दो समझौते हो चुके हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि यह प्राजेक्ट स्कीमें कहां कार्यान्वित की जा रही हैं ।

श्री बी० आर० भगत : इन पर कार्य विभिन्न राज्यों में हो रहा है : ५ शिक्षण तथा विकास प्राजेक्ट बम्बई, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश में हैं तथा एक अन्य प्राजेक्ट उत्तर प्रदेश (लखनऊ) में है और पन्द्रह विकास प्राजेक्ट बम्बई, हैदराबाद, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत, ट्रावनकोर कोचीन, बम्बई, मैसूर, भूपाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में से प्रत्येक में एक एक आरम्भ किये गये हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि ट्रावनकोर कोचीन में कौन सा प्राजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है ?

श्री बी० आर० भगत : यह एक विकास प्राजेक्ट है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि इन दान योजनाओं के परिणाम स्वरूप जो वस्तुएं इस देश में आयात की जाती हैं वे कर मुक्त हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मैं बिना देखे भाले नहीं कह सकता मुझे इस का उत्तर देने के लिये सूचना चाहिये । ३

कुमारी एनी मस्करीन: इस प्रोजेक्ट के अनुसार ट्रावनकोर कोचीन राज्य में क्या विकास हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्या के लिये उचित था कि अपने प्रश्न में एक खंड (घ) उन्होंने जोड़ दिया होता तो वे इसका उत्तर दे चुके होते । जब माननीय सदस्यों को ऐसे विवरण से अभिरुचि हो तो पहले से सूचना देना अच्छा होता है ।

कुमारी एनी मस्करीन: वे बता चुके हैं कि कुछ विकास हो रहा है । मैं उसे जानना चाहूंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय: सामान्यतः वे कह सकते हैं कि विकास हो रहा है ।

विशेष आरक्षी संस्थापन

*१९२. **श्री एल० जे० सिंह:** क्या गृह-कार्य मंत्री कृपा कर के ११ दिसम्बर १९५२ को पूछे गये आतारांकित प्रश्न संख्या ५३० के खंड 'ख' के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे तथा बतावेंगे :

(क) क्या विशेष आरक्षी संस्थापन ने अब तक किसी खंड 'ग' राज्य में किसी भ्रष्टाचार के मामले में खोज किया है; तथा

(ख) यदि किया है तो इस खोज का परिणाम और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये विशेष आरक्षी संस्थापन द्वारा सिफ़ारिश किये गये उपाय ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). विशेष आरक्षी संस्थापन द्वारा खंड 'ग' राज्यों में किये गये कार्यों की जानकारी कराने वाला एक विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७**] विशेष आरक्षी संस्थापन द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये दिये गये सुझाव डा० बख्शी टेकचन्द के सभापतित्व में रचित संसद के सदस्यों की एक समिति द्वारा जांचे गये थे, समिति की सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा संसद के पिछले सत्र में विधायिनी उपाय किया गया था । समिति के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों को दी गई थीं ।

श्री एल० जे० सिंह: विवरण बताता है कि १९५० में तीन व्यक्ति दंडित किये गये थे तथा १९५१ में एक व्यक्ति दिल्ली में दंडित किया गया था तथा यह कि १९५० में एक व्यक्ति अजमेर राज्य में दंडित किया गया था । क्या मैं उन अधिकारियों के नाम, उन की पद व्याख्या तथा वे आरोप जान सकता हूं जिन के लिये वे दंडित किये गये थे ?

श्री दातार: यदि माननीय सदस्य किसी प्रश्न की सूचना दें तो विवरण दिया जावेगा

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्यों की विकास योजनाओं के लिये दिया जाने वाला ऋण

*१७३. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी राज्य सरकार को १९५२-५३ में अपनी विकास योजनाएं कार्यान्वित करने के लिये ऋण दिये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन को दिये जाने वाले ऋण की कुल धन राशि कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है [**देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८**]

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

*१७७. **श्री बी० के० दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ की बाढ़ के कितने पूर्व बंगाल के विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास केन्द्रों में ले जाये गये हैं ;

(ख) उन में से कितने मार्गस्थ शिविर में हैं;

(ग) कितने साधारण शिविरों में हैं; तथा

(घ) उपर्युक्त खंड 'क' 'ख' तथा 'ग' के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान किया जाने वाला जीवनयापन का साधन किस प्रकृत का है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : 'क' से 'घ' तक : जानकारी इकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रक्खी जायगी ।

बिक्री कर (एकरूपता)

*१८०. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **वित्त मंत्री** बताने की कृपा करेंगे : (क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों की समिति, जो प्रधान मंत्री सम्मेलन में, समस्त भारत में बिक्री कर आरोपण के सम्बन्ध में एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी किसी निश्चित परिणाम पर पहुंची है ;

(ख) यदि हां तो उसकी सिफ़ारिशें क्या हैं;

(ग) क्या वे विभिन्न राज्य सरकारों को स्वीकार्य हैं; तथा

(घ) उपाय जो कि भारत सरकार इस संबंध में कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान । यह विषय राज्य सरकारों के परामर्श से अभी तक विचाराधीन है । किसी निश्चित परिणाम पर तभी पहुंचना सम्भव होगा जब विधान के अनुच्छेद २८६ के खंड (१) तथा (२) के निर्वचन के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का कोई अधिकृत निर्वचन उपलब्ध हो जायगा ।

(ख) से (घ) तक . उत्पन्न नहीं होता है ।

पाकिस्तानी प्रतिभूतियां

*१८४. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **वित्त** मंत्री कृपा कर के २० दिसम्बर १९५२ को पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९४ के अपने उत्तरों की ओर निर्देश करेंगे तथा बताएंगे :

(क) २७ फरवरी १९५१ से भारत के विभिन्न कोषागारों की हमारी पंजियों में अंकित कितनी पाकिस्तानी प्रतिभूतियों की पृष्टांकनाएं भारत से पाकिस्तान को प्रवर्तित की गई हैं जिस का निर्देश है कि उनका हस्तान्तर भारत के विरुद्ध तथा पाकिस्तान के पक्ष में किया गया है ।

(ख) क्या सरकार ने पता लगाया है कि वैदेशिक विनिमय आनियमन अधिनियम की धारा १३(२) के अन्तर्गत पाकिस्तान ने प्रतिभूतियों के निर्यात पर से निषेध हटा लिया है ; तथा

(ग) क्या विनिमय नियंत्रण अधिनियम की धारा १९ के अन्तर्गत समस्त पाकिस्तानी अंशों तथा प्रतिभूतियों को जनता द्वारा घोषित कराने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) इस की सूचना तत्क्षण उपलब्ध नहीं है । एकत्रित की जा रही है तथा जैसे ही उपलब्ध हो जावेगी सदन पटल पर रख दी जावेगी ।

(ख) जहां तक सरकार को ज्ञात है पाकिस्तान ने अपने वैदेशिक विनिमय आनियमन के अनुसार प्रतिभूतियों के भारत को निर्यात किये जाने पर कोई निषेध नहीं लगाया है ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

आन्ध्र राज्य की रचना

***१९३. श्री टी० एस० ए० चेट्टियार:** (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को श्री जस्टिस वांचू का मदरास से आंध्र के प्राथक्य पर कोई प्रारंभिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

(ख) आंध्र राज्य की रचना के लिये सरकार विधेयक कब पुर:स्थापित करने की आशा रखती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) हां ।

(ख) प्रतिवेदन का परीक्षण हो रहा है। इस स्थिति में तिथि घोषित करना संभव नहीं है।

राजस्थान को दिये जाने वाले ऋण

***१९४. श्री भीखा भाई:** क्या **राज्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे : (क) १९४९ से अब तक विभिन्न मद्दों में, वर्षक्रम के अनुसार राजस्थान राज्य को ऋण तथा अनुदान के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता ;

(ख) उक्त राज्य को रेल, तार, तथा नमक की अधिकार शुल्क के लिये हानिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली धनराशि; तथा

(ग) केन्द्र से राज्य को दिये जाने वाली शेष रक़म यदि कोई हो ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) यथा समय यह सूचना सदन पटल पर रक्खी जायगी ।

(ख) रेल तथा तार की सम्पत्ति के लिये कोई हानिपूर्ति देय नहीं है । विधान के अनुच्छेद २९५ तथा जैसा उस में प्रावधानित है राजस्थान सरकार से किये गये संविदा की ओर निर्देश आमंत्रित किया जाता है । सदन के पुस्तकालय में संविदा की प्रतिलिपियां उपलब्ध हैं ।

संविदा की अनुसूची में नमक के अधिकार शुल्क के विवरण, जो राज्य को दिया जा रहा है, दिये गये हैं ।

(ग) कुछ मद्दों में राज्य सरकार को दात्वय तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशियां निकाली जा रही हैं परन्तु अभी तक राजस्थान को दी गई धन राशियों पर ध्यान देने के बाद यह आशा नहीं की जाती है कि केन्द्र द्वारा देय कोई शेष रक़म निकलेगी ।

ग्राम उधार परिमाप

***१९५. श्री झूलन सिन्हा:** क्या **वित्त मंत्री** कृपा कर के रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया द्वारा आरम्भ किये गये अखिल भारतीय आधार पर ग्राम उधार परिमाप में इस समय तक होने वाली प्रगति बतायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): ७५ ज़िलों में अन्य विषय में चुने हुए ६०० ग्रामों के सम्बन्ध में क्षेत्र सचालन के मध्य एकत्रित की गई अधिक परिमाण की सामग्री का संकलन पूरा हो चुका है । अखिल भारतीय सारिणियों की तैयारी तथा प्रतिवेदन का प्रारूपण अब हो रहा है

त्रिपुरा में गोचर कर

***१९७. श्री दशरथ देव:** क्या **राज्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा के गोचर कर अत्याधिक हैं ;

(ख) एक परगना अर्थात् बेलेनिया से उन के पास इस विषय में हस्तक्षेप करने का अभिवेदन आया है; तथा

(ग) यदि हां तो सरकार इस विषय में क्या उपाय करने का विचार करती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग) तक : गोचर कर के सम्बन्ध में प्राप्त कुछ अभिवेदनों पर मुख्य आयुक्त द्वारा विचार किया जा रहा है। उन से एक प्रतिवेदन मांगा गया है ।

ग्राम उधार परिमाप

*१९८. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस समय तक रिज़र्व बैंक द्वारा आरम्भ किया गया ग्राम उधार परिमाप समाप्त हो जायगा ?

(ख) इस कार्य में संलग्न कर्मचारी वृन्द की कुल संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) अगस्त १९५२ तक ७५ ज़िलों में अन्य विषय में चुने हुए ६०० ग्रामों का क्षेत्र संचालन पूरा हो गया था । एकत्रित की हुई सामग्री का अधिक परिमाण संकलित किया जा चुका है तथा अखिल भारतीय सारिणियां तय्यारी के मध्य में हैं और शीघ्र ही तय्यार हो जायेंगी । साथ ही साथ अखिल भारतीय प्रतिवेदन के प्रारूपण करने के उपाय भी आरंभ कर दिये गये हैं । जैसी वर्तमान समय में परिस्थिति है इस वर्ष के मध्य तक प्रतिवेदन के तय्यार हो जाने की आशा की जाती है ।

(ख) सक्रिय क्षेत्र संचालन में संलग्न क्षेत्र कर्मचारी वृन्द की कुल संख्या ४२२ है । अगस्त १९५२ तक कर्मचारियों की बड़ी संख्या अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी तथा शेष प्रधान कार्यालय के कर्मचारी वृन्द में ले लिये गये थे जिनकी संख्या इस समय १२८ है ।

आन्ध्र राज्य की रचना

*१९९. **श्री गोपाल राव** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि सरकार श्री जस्टिस वांचू का आन्ध्र राज्य रचना सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा उसके वित्तीय उपलक्षण सदन पटल पर रखने का विचार करती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : प्रतिवेदन का परीक्षण हो रहा है। इस बात का निर्णय कि प्रतिवेदन सदन पटल पर रक्खा जाय या नहीं परीक्षण समाप्त होने पर किया जायगा ।

खजुराहो के मन्दिर

१६०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री कृपा कर के तारांकित प्रश्न संख्या १५०० पर श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा उठाये अनुपूरक प्रश्न के १६ फ़रवरी १९५१ को दिये गय उत्तर और साथ ही साथ तृतीय संसद (द्वितीय भाग) के मध्य दिये गये आश्वासन इत्यादि के सम्बन्ध में किये गये उपाय व्यक्त करने वाले विवरण ४ की क्रम संख्या ११ की ओर निर्देश करेंगे तथा बतायेंगे :

(क) प्राचीनस्मारक रक्षण अधिनियम १९०४ के अन्तर्गत विन्ध्य प्रदेश में खजूराहो स्थित मन्दिरों की रक्षार्थ किये गये उपाय ;

(ख) क्या मन्दिरों के पक्षी, चिमगादड़ तथा पशुओं इत्यादि से सुरक्षित रखने के लिये कोई व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या सुयोग्य निवास तथा जलपान इत्यादि की पर्यटन सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करने की कोई व्यवस्था की गई है; तथा

(घ) अभी तक किया गया कुल व्यय का आवर्ती तथा अनावर्ती आगणन क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ४ नवम्बर १९५२ को खजुराहो स्थित मन्दिर रक्षित अधिसूचित कर दिये गये थे ।

(ख) वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व इस सम्बन्ध की व्यवस्था पूरी हो जाने की आशा की जाती है ।

(ग) विन्ध्य प्रदेश द्वारा व्यवस्था की जा रही है ।

(घ) इस समय तो इन मन्दिरों की देख भाल करने के लिये भारत सरकार के पास केवल एक चौकीदार है । इस समय तक किया जाने वाला व्यय केवल उस के वेतन का है । मन्दिरों की मरम्मत के व्यय का आगणन, जिन के शीघ्र आरम्भ होने की आशा है १०००) रु० है ।

इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकीय विषैयों में शिक्षा

१६१. श्री मोहन राव : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१ में स्नातक पूर्व स्तर के लिये इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकीय विषयों में भारत में शिक्षा देने वाली संस्थाओं की राज्य क्रमबद्ध संख्या;

(ख) १९४७ से प्रतिवर्ष को इन संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाली नामांकन संख्यायें; तथा

(ग) इन संस्थाओं द्वारा लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क, साथ साथ, गत ५ वर्षों में होने वाले परिवर्तन यदि कोई हुए हों ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सदन पटल पर अपेक्षित जानकारी व्यक्त करने वाला एक विवरण उपस्थित है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]**

कृषि का स्नातक पाठ्यक्रम

१६२. श्री मोहन राव : क्या शिक्षा मंत्री बताने कर कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१ में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए कृषि की शिक्षा देने वाले कालिजों की राज्य क्रमबद्ध संख्या ;

(ख) १९४७ से इन संस्थाओं से संबंध रखने वाली प्रतिवर्ष की नामांकन संख्यायें; तथा

(ग) इन के द्वारा वसूल की जाने वाली शिक्षण शुल्क की दरें, साथ साथ गत ५ वर्षों में होने वाले परिवर्तन यदि कोई हुए हों ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सदन पटल पर अपेक्षित जानकारी का एक ब्यौरा उपस्थित है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]**

कृषि की शिक्षा

१६३. श्री मोहन राव : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१ में स्नातक पूर्व स्तर के लिये भारत में कृषि की शिक्षा देने वाली संस्थाओं की राज्य क्रम बद्ध संख्या ;

(ख) १९४७ से इन संस्थाओं से संबंधित नामांकन संख्याएं; तथा

(ग) इन संस्थाओं की शिक्षण शुल्क की दरें, साथ साथ गत ५ वर्षों में होने वाले परिवर्तन यदि कोई हुए हों ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी व्यक्त करने वाला एक विवरण सदन पटल पर उपस्थित है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]** ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मत्रालय के कर्मचारी वृन्द

१६४. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** क्या, **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री,** निम्नलिखित विवरण, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय के कर्मचारी वृन्द के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण देने की कृपा करेंगे :

(क) मंत्रालय के आधीन प्रत्येक श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाने वाला कुल वेतन ;

(ग) कर्मचारियों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी की विभिन्न दिशाओं में योग्यता प्राप्त हैं ;

(घ) कर्मचारियों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो वास्तविक वैज्ञानिक कार्य में संलग्न हैं तथा ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो दैन्यक प्रशासी कार्य में संलग्न हैं; तथा

(ङ) उन व्यक्तियों को दिया जाने वाला कुल वेतन जो वैज्ञानिक कार्य में संलग्न हैं तथा उन व्यक्तियों को दिया जाने वाला कुल वेतन जो प्रशासी कार्य में संलग्न हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) : मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी वृन्द सम्बन्धित जानकारी ज्ञातव्य एक विवरण सदन पटल पर उपस्थित है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ग) से (ङ) तक प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय के कर्मचारी वृन्द वैज्ञानिक अनुसन्धान के प्रशासन से सम्बन्ध रखते हैं, वैज्ञानिक अनुसन्धान के संचालन से नहीं । इनके पास विद्या सम्बन्धी योग्यतायें तथा इस कार्य का अनुभव है । मंत्रालय के आधीन निम्नलिखित संस्थाओं में वैज्ञानिक अनुसन्धान होता है तथा इन संस्थाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिक तथा अन्य प्रकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा तय्यार होने पर सदन पटल पर उपस्थित की जायगी :

(१) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा ११ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

(२) खान का भारतीय ब्योरो, नई दिल्ली

(३) भारत का भूतत्वीय परिमाप, कलकत्ता

(४) खनि तथा व्यावहारिक भूतत्वीय विज्ञान का भारतीय विद्यालय, धनबाद

(५) भारतीय भू परिमाप, देहरादून

(६) भारत का औदभिदीय आपरीक्षण, कलकत्ता

(७) भारत का प्राणिकाय आपरीक्षण, कलकत्ता

(८) अणु शक्ति आयोग

(९) भूभौतिकी का केन्द्रीय मंडल, कलकत्ता

चिकित्सा का स्नातक पाठ्यक्रम

१६५. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१ में भारत में चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रम की शिक्षा देने वाले कालिजों की राज्य- क्रमबद्ध संख्या;

(ख) १९४७ से प्रति वर्ष की इन संस्थाओं से सम्बन्धित नामांकन संख्याएं; तथा

(ग) इन संस्थाओं में प्रचलित शिक्षण शुल्क की दरें साथ साथ गत ५ वर्षों में होने वाले परिवर्तन यदि कोई हुए हों ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अपेक्षित जानकारी व्यक्त करने वाला एक विवरण

सदन पटल पर उपस्थित है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३]

चिकित्सा विषयों की शिक्षा

१६६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१ में भारत में चिकित्सा विषयों की शिक्षा देने वाली संस्थाओं की राज्य क्रमबद्ध संख्या;

(ख) १९४७ से प्रति वर्ष की इन संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाली नामांकन संख्यायें; तथा

(ग) इन संस्थाओं में प्रचलित शिक्षण शुल्क की दरें, साथ साथ गत ५ वर्षों में होने वाले परिवर्तन यदि कोई हुए हों ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): अपेक्षित जान कारी व्यक्त करने वाला एक विवरण सदन पटल पर उपस्थित है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]

इंजीनियरिंग तथा औद्योगिकीय स्नातक पाठ्यक्रम

१६७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१ में भारत में इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले कालिजों की राज्य क्रमबद्ध संख्या;

(ख) १९४७ से प्रति वर्ष की इन संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाली नामांकन संख्यायें; तथा

(ग) इन संस्थाओं में प्रचलित शिक्षण शुल्क की दरें, साथ साथ गत ५ वर्षों में होने वाले परिवर्तन यदि कोई हुए हों ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): अपेक्षित ज़ानकारी व्यक्त करने वाला एक विवरण सदन पटल पर उपस्थित है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]

भारत में अमरीकन

१६८. **कुमारी एनी मस्करीन** : क्या गृह कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में निवास करने वाले अमरीकनों की संख्या;

(ख) ट्रावनकोर में निवास करने वालों की संख्या; तथा

(ग) इस प्रकार निवास करने का कारण ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग). तक जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सदन पटल पर उपस्थित की जायेंगी ।

'दर्शन का इतिहास'

१६९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 'दर्शन का इतिहास—पूर्वीय तथा पश्चिमी' शीर्षक पुस्तक मुद्रित तथा प्रकाशित हो चुकी है ;

(ख) यदि हां तो क्या वह पुस्तक भारतीय भाषाओं में अनूदित की जायेगी ; तथा

(ग) पुस्तक की अंक संख्या तथा मूल्य ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): फ़रवरी १९५३ के अन्तिम सप्ताह में उस के प्रकाशित हो जाने की आशा की जाती है ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

(ग) उसकी अंकसंख्या दो होगी तथा उसका मूल्य ३ गिनी प्रति सेट होगा ।

झण्डा दिवस संग्रहीत धन

१७०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे : (क) १९५२ में झंडा दिवस पर संग्रह किया जाने वाला धन कितना था ;

(ख) गत वर्ष का कितना शेष धन इस धन राशि में संयुक्त किया गया ; तथा

(ग) सारी धन राशि को किस प्रकार व्यय करने का विचार किया गया है या किया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) धनराशि जिस के संग्रह किये जाने की सूचना मिली है ४,८३,३७० रु०५ आने ११ पाई है । कुछ राज्यों से संग्रहीत धन की सूचना अभी आने को है ।

(ख) १९५१ के संग्रहीत धन में से वितरण करने के पश्चात बचा हुआ अवशेष दो लाख रुपया प्रतिभूतियों में तथा १·३ लाख रुपया नकद था ।

(ग) १९५२ के झंडा दिवस का संग्रहीत धन अभी तक व्यय नहीं किया गया है । समस्त संग्रहीत धन विप्रेषित हो जाने के बाद झंडा दिवस कोष की प्रबन्धक समिति द्वारा उस का बटवारा किया जायगा । अधिकांश व्यय भूतपूर्व सेवक वर्ग के लाभ के लिये तथा काम करने वाले कर्मचारीवृन्द की सुख सुविधाओं के लिये किया जायगा ।

वैज्ञानिक तथा शिल्पक जानकारी

१७१. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में वैज्ञानिक तथा शिल्पक जानकारी किस प्रकार प्रसारित की जाती है तथा जनता तक पहुंचाई जाती है ?

(ख) भारतीय अनुसन्धान कर्ताओं को दूसरे देशों के नवीनतम वैज्ञानिक अनुसन्धान की प्रगति से सुसज्जित रखने के कौन से उपाय किये जाते हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी रखने वाले दो विवरण सदन पटल पर उपस्थित हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

और अधिक जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा तय्यार हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

निर्वाचन

१७२. **श्री पुन्नूस** : (क) क्या **विधि** मंत्री कृपा कर के गत सामान्य निर्वाचन से आज तक निर्वाचन आयुक्त द्वारा अवैध घोषित किये गये निर्वाचनों की राज्य क्रम अनुसार, तथा दलों के अनुसार कुल संख्या बतावेंगे ?

(ख) यह निर्वाचन किन कारणों से अवैध घोषित किये गये ?

(ग) निर्वाचन में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) पहली फ़रवरी १९५३ तक निर्वाचन आयुक्त द्वारा अवैध घोषित किये जाने वाले निर्वाचनों की कुल संख्या ३८ है राज्य क्रम तथा दल क्रम के अनुसार आंकड़े सम्बद्ध तालिका में दिये हुए हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ख) कारण यह हैं :—

(१) नाम निर्देशन पत्रों का अनुचित अस्वीकार्य ।

(२) नाम निर्देशन पत्रों का अनुचित स्वीकार्य ।

(३) अभयर्थीगण सदन अथवा राज्यों के विधान मंडलों के सदस्य निर्वाचित

किये जाने के लिये अपात्र अथवा योग्यता रहित ठहराये गये ।

(४) भ्रष्ट अथवा अवैध आचार ।

(ग) उपर्युक्त '३' तथा '४' म उल्लिखित कारणों पर भविष्य में निर्वाचनों के खारिज किये जाने को रोकने के लिए कोई उपाय करना न विचाराधीन है और न आवश्यक है । भविष्य में निर्वाचनों को, नामनिर्देशन पत्रों के अनुचित स्वीकार्य तथा अनुचित अस्वीकार्य के कारण, खारिंज होने से रोकने के विचार से सरकार विधि संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार करती है जिस से निर्वाचन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्राथमिक स्थिति में सांक्षपिक पुनर्वाद का प्रावधान किया जा सके तथा वैध रूप से नामोनिर्देशित अभयर्थीगण की तालिका को निरपेक्ष अन्तिमता प्रदान की जाय ।

विश्व धनागार द्वारा दिये जाने वाले ऋण

१७३. **श्री ए० सी० गुहा:** क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ के गत ६ मास में अन्तर्राष्ट्रीय धनागार के साथ किसी ऋण का प्रबन्ध किया गया या किसी किसी ऋण का भुगतान किया गया ; तथा

(ख) यदि हां तो (१) धनराशि

(२) उन में से प्रत्येक का अभिप्राय

(३) तथा प्रत्येक की शर्तें तथा सूद की दर ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख). मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस ब्योरे की ओर आकर्षित करूंगा जो मैं ने तारांकित प्रश्न संख्या १७९ के उत्तर में सदन पटल पर रक्खा है ।

विदेशी पूंजी का विनियोग

१७४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) विगत १० वर्षों में भारत में विदेशी विनियोग की गति तथा विदेशी वैयक्तिक पूंजी तथा विदेशी लोक पूंजी के आंकड़े; तथा

(ख) विदेशी पूंजी का प्रयोग करने वाले उद्योग जिन को संरक्षण प्रदान किया गया है तथा उस का परिमाण ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) अपेक्षित जानकारी का एक ब्योरा सदन पटल पर उपस्थित है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) ४४ उद्योगों में से जो कि इस समय प्रशुल्क संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं अभारतीय पूंजी का विनियोजित किया जाना उन्हीं उद्योगों में ज्ञात है जिनका उल्लेख संबद्ध ब्योरे में किया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]**

उक्त ब्योरा पूंजी की वह धनराशि भी व्यक्त करता है जिस के स्वामी अभारतीय हैं, जहां तक प्रशुल्क मंडल प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई पूंछ तांछ से ज्ञात हुआ है ।

अमरीकन वैयक्तिक विनियोग

१७५. **श्री के० के० बसु** : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) अगस्त १९४७ से आज की तिथि तक पूंजी निर्गम नियंत्रण के अन्तर्गत भारत में अमरीकन वैयक्ति विनियोग जिस की आज्ञा दी गई; तथा

(ख) इस अमरीकन विनियोग के कारण भारत से बाहर प्रेषित किये जाने वाले वार्षिक लाभ की धन राशि ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) अगस्त १९४७ से पूंजी निर्गम नियंत्रण तथा विनिमय नियंत्रण के अन्तर्गत अमरीकन वैयक्ति विनियोग की निम्नलिखित धनराशियां स्वीकृत की गई हैं :—

वर्ष	रुपये
१९४७ (अगस्त से)	१०,००,०००
१९४८	...
१९४९	४,१६,५००
१९५०	१०,७२,६००
१९५१	९८,१८,०००
१९५२	२०९,२५,०००
योग	३२२,३२,१००

(ख) अपेक्षित जानकारी तत्क्षण प्राप्त नहीं है। एकत्रित की जा रही है तथा जैसे ही एकत्रित हो जायगी सदन पटल पर प्रस्तुत की जायगी।

लघु संचय

१७६. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या वित्त मंत्री बतानें की कृपा करेंगे :—

(क) लघु संचय आन्दोलन के तीव्रकरण में होने वाली प्रगति, जैसा कि अक्तूबर १९५२ के मध्य में होने वाले वित्त मंत्रीय सम्मेलन में, विचार किया गया था ;

(ख) क्या कोई राज्य अतिरिक्त संग्रह कर पाये हैं; तथा

(ग) यदि हां तो वे राज्य कौन से हैं तथा वह धनराशि कितनी है जो कि उन्हों ने संग्रह किया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग) तक. लघुसंचय स्कीम के तीव्रकरण के परिणामों का अन्दाज़ा लगाना, जोकि अभिनव वित्त मंत्रीय सम्मेलन में तय पाई थी, अभी अत्यन्त पूर्वकालिक होगी। इस वर्ष का तीव्र किया हुआ संचय आन्दोलन अभी आरम्भ ही किया गया है तथा कुछ मास तक संग्रह के आंकड़े ज्ञात नहीं होंगे।

केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान इन्स्टीट्यूट, लखनऊ

१७७. श्री वी० पी० नायर : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय औषधि निर्माण अनुसन्धान इंस्टीट्यूट लखनऊ पर प्रथम जनवरी १९५३ तक किया जाने वाला कुल व्यय, उपकरणों तथा भवनों का मूल्य यदि कोई हो, अधिकारियों के वेतन इत्यादि को भी सम्मिलित करते हुए; तथा

(ख) इस इंस्टीट्यूट को चलाने का औसत वार्षिक व्यय ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का एक ब्योरा सदन पटल पर उपस्थित है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]**

आई० ई० सी० अधिकारी

१७८. श्री लक्ष्मण सिंह चरक : क्या रक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय विश्व व्यापी युद्ध के मध्य आज्ञप्त आई० ई० सी० अधिकारियों की कुल संख्या;

(ख) युद्ध के पश्चात् मुक्त किये जाने वाले आई० ई० सी० अधिकारियों की कुल संख्या;

(ग) १५ अगस्त १९४७ को आई० ए० के ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या; तथा

(घ) अभी तक रोके गये ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या तथा उन के रोके जाने का कारण ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १५,५१० रु०

(ख) ७,७१०

(ग) तथा (घ). भारतीय सेना में १५ अगस्त १९४७ की या आज की आई०

ई० सी० अधिकारियों की संख्या प्रकाशित करना जनता के हित में नहीं है। ऐसे अधिकारी, कुछ संख्या में, रोके जा रहे हैं क्योंकि उनकी सेवाओं की अब भी आवश्यकता है।

जलाशय से जल निर्गम

१७९. श्री गिडवानी: (क) क्या **वित्त मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है है कि इम्फाल से २५ मील दूर, लाऊशी जलाशय के निकट १२ ग्रामों से एक सहस्र स्वयं सेवक यह वचन देकर जलाशय से जल निकालने के कार्य में लगाये गये थे कि कार्य समाप्त होने पर प्रत्येक स्वयं सेवक को धान की खेती के लिये राज्य सरकार द्वारा २ १/२ एकड़ भूमि निःशुल्क दी जावेगी ?

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य समाप्त हो चुका है और स्वयं सेवकों को भूमि निःशुल्क प्रदान की जा चुकी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) हां, प्रत्येक स्वयं सेवक को दी जाने वाली भूमि का निश्चित क्षेत्रफल उसके द्वारा किये गये कार्य के निश्चित घंटों के आधार पर तै किया जायगा।

(ख) अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ है, इस लिये इसी क्षण भमि के बटवारे का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अभ्यासोपयोगी वायुयान

१८०. श्री विट्टल राव: क्या **रक्षा मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि "एच० टी०-२" नाम के छै अभ्यासोपयोगी वायुयान हिन्दुस्तान एअरक्रैफ्ट लिमिटेड बंगलौर द्वारा अभी जल्दी ही तय्यार किये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): हां, श्रीमान न केवल तय्यार हो चुके हैं वरन् गणतन्त्र दिवस सैन्ययात्रा के पलायन समारोह में भाग भी ले चुके हैं।

चारे की दुर्लभता

१८१. श्री एल० जे० सिंह: क्या **राज्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या सरकार को ज्ञात है कि लिम्फ़ेलपेट में तथा उस के आस पास पशुओं की एक बहुत बड़ी संख्या चारे की दुलर्भता के कारण अभी जल्दी ही मर चुकी है तथा चारे की यह दुर्लभता लिम्फ़ेलपेट के नाम से प्रसिद्ध गोचर भूमि के एक बहुत बड़े भाग के धान उपजाऊ खेतों में परिवर्तित करने के कारण उत्पन्न हो गई है ; तथा

(ख) यदि उपर्युक्त खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार इस विषय में क्या उपाय करने का विचार करती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) चारे की दुलर्भता के कारण पशुओं की कोई असाधारण मृत्यु नहीं हुई हैं। प्रतिवेदित किये गये पशुरोग के कुछ मामलों की शीघ्रता के साथ देख भाल की गई थी।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

ईंधन अनुसन्धान इन्सटीट्यूट का पुस्तकालय

१८२. श्री एन० पी० सिन्हा : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री कृपा कर के बतावेंगे कि ईंधन अनुसन्धान इंस्टीट्यूट के पुस्तकालय के लिये कोई अनुदान सम्भोदित किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उस की धन राशि क्या है ?

(ग) यह पुस्तकालय किस स्थान में स्थापित किया जायगा ?

(घ) क्या इस अनुदान में पुस्तकालय भवन निर्माण का व्यय भी सम्मिलित है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) तक : 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्' द्वारा १,५०,०००) रु० ईंधन अनुसन्धान इन्स्टीट्यूट, धानबाद के हाते में एक पुस्तकालय स्थापित करने के लिये बन्धान किया गया है। उपर्युक्त धनराशि में से १,००,०००) रु० भवन के लिये अलग कर दिया गया है तथा ५०,०००) रु० वैज्ञानिक पुस्तकों तथा वैज्ञानिक पत्रिकाओं के पुराने अंक क्रय करने के लिये।

केन्द्रीय खाद्य शिल्प विज्ञानी अनुसन्धान इन्स्टीट्यूट द्वारा तय्यार किया हुआ दूध

१८३. **श्री हेडा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) एक पाउंड प्राकृतिक तथा केन्द्रीय खाद्य शिल्पविज्ञानी अनुसन्धान इंस्टीट्यूट मैसूर द्वारा तय्यार किये दूध का तुलनात्मक मूल्य; तथा

(ख) पोषक तत्वों के द्रष्टिकोण से उन का तुलनात्मक महत्व ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी का एक व्योरा सदन पटल पर उपस्थित है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]**

अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति का कल्याण

१८४. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में विभिन्न राज्यों में क्रमश: अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के कल्याण के लिये संमोदित की जाने वाली धनराशि क्या थी ?

(ख) अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित जाति का कल्याण प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का उत्तर दायित्व है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को अनुसूचित जाति के लिये कोई अनुदान नहीं दिया जाता था। १९५२-५३ में विधान के अनुच्छेद २७५ (१) के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिये गये थे :—

राज्य	(लाख रुपये में)
आसाम	*७८.००
बिहार	१८.००
बम्बई	८.५०
मध्यप्रदेश	१७.००
मद्रास	८.६१
उड़ीसा	२२.००
पंजाब	४.७३
पश्चिमी बंगाल	६.००
हैदराबाद	३.००
मध्यभारत	५.३६
मैसूर	१.००
राजस्थान	६.७०
सौराष्ट्र	०.५०
ट्रावनकोर कोचीन	०.२५
कुर्ग	०.१०
योग :	१७९.७५

* इस में, अनुच्छेद २७५ के द्वितीय परन्तुक के खंड (क) के अन्तर्गत ४० लाख रुपया भी सम्मिलित है।

(ख) जानकारी संग्रह की जा रही है तथा समय आने पर सदन पटल पर उपस्थित की जायगी।

त्रिपुरा के 'विस्थापित व्यक्ति' शिविर में मृत्युयें

१८५. श्री दशरथ देब : क्या **पुनर्वास** मंत्री बतानें की कृपा करेंगे :

(क) नवम्बर तथा दिसम्बर १९५२ में त्रिपुरा के अमताली तथा अरुणधति नगर शर्णार्थी शिविरों में होने वाली मृत्युओं की संख्या;

(ख) इन मृत्युओं का कारण; तथा

(ग) उपाय जो सरकार ने इस विषय में किये ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :

(क) अमताली शिविर २४

अरुणधति नगर शिविर २५

(ख) पेचिश, मलेरिया, जलोदर इत्यादि तथा वृद्धावस्था, शक्तिहीनता

(ग) शिविर भली प्रकार रोगाणुमुक्त किये गये हैं तथा ऐसे औषधालयों से अच्छी तरह सुसज्जित किये गये हैं जिन में योग्य कर्मचारियों की देखरेख में निवासयुक्त उपचार की क्षमता है । ट्यूब-वेल के द्वारा पीने योग्य जल का भी प्रबन्ध किया गया है । विस्थापित व्यक्तियों को टाईफाइड बुखार के टीके लगाये जा चुके हैं उन को पुनर्वास केन्द्रों में भेजा जा रहा है ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

१८६. ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर : (क) क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद राज्य तथा मध्य भारत राज्य में पुनर्वास वित्त प्रशासन के कितने ऋण ग्रहीता हैं ?

(ख) इन में से प्रत्येक राज्य के ऋण ग्रहीताओं को कितनी धनराशियां दी गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख) हैदराबाद तथा मध्यभारत राज्यों के विस्थापित व्यक्तियों के लिएपुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा संमोदित ऋण की स्थिति निम्नांकित है :

राज्य	ऋण ग्रहीताओं की संख्या जिनके लिये ऋण संमोदित किये गये	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन को ऋण की धनराशि वास्तव में अदा की गई	संमोदित धन राशि	वस्तुतः वितरित धन राशि
हैदराबाद	१०	५	७२,८००) रू०	३६,३००) रू०
मध्य भारत	१०८	३२	८,४२,९५८) रू०	२,४५,९५८) रू०

खानस्वामी तथा पट्टेदार

१८७. श्री देवगम : (क) क्या **वित्त** मंत्री बिहार तथा उड़ीसा राज्य के आयस अयस्क, लोहक, नीलस्फसैकिज, वर्णजोरयिज, चीनमृत तथा अन्य खनिज पदार्थों के खान स्वामी तथा पट्टेदारों की एक तालिका सदन पटल पर रक्खेंगे ?

(ख) क्या उनका आयकर आज की तिथि तक निर्धारित किया जा चुका है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है । प्रश्न का यह खंड (क) प्राथमिक रूप से पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा की सरकारों से सम्बन्ध रखता है तथा

वही अपेक्षित तालिका दे सकती है। आयकर विभाग को केवल उन खानस्वामियों तथा पट्टेदारों के सम्बन्ध में जानकारी होगी जिनकी आय कर निर्धारण सीमा के अन्दर है तथा जिन पर कर निर्धारण हो रहा है, परन्तु यह जानकारी भी इसी क्षण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन में से अधिकतर व्यक्तियों पर कर निर्धारण उन राज्यों के बाहर होता है जहां कि यह खानें स्थित हैं तथा यह जानकारी संग्रह करने में इतना समय तथा श्रम लगेगा जो कि परिणाम के साथ सममात्रिक नहीं होगा।

(ख) यह सूचना भी इसी क्षण उपलब्ध नहीं है तथा प्रश्न के खंड (क) के उत्तर में दिये कारणों से इस सूचना के संग्रह करने में इतना समय तथा श्रम लगेगा तथा इसके लिये भारत के समस्त अधिकारियों से प्रतिवेदन कराना पड़ेगा जो कि प्राप्त होने वाले परिणाम के साथ सममात्रिक नहीं होगा।

खनिज कारखाने

१८८. **श्री देवगम** : क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) सिंहभूमि ज़िले में स्थित महत्वपूर्ण खनिज कारखानों के नाम तथा कारखानों के स्वामियों के नाम, तथा

(ख) क्रमशः कारखाने के स्वामियों द्वारा दिये जाने वाली आय कर की धनराशि ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस मामले का संबंध बिहार की सरकार से है तथा केवल वही सिंहभूमि ज़िले के महत्वपूर्ण खनिज कारखानों के नाम तथा कारखाने के स्वामियों के नाम दे सकती है।

(ख) ऐसी सूचना का प्रदाय भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५४ के अनसार वर्जित है।

खंड 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

१८९. **श्री पुन्नूस** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निकट वर्तमान में दिल्ली में खंड 'ग' राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ?

(ख) यदि हां तो इस सम्मेलन में कौन से निर्णय किये गये ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां।

(ख) उन्होंने मुझ से अनेक विषयों पर विवाद किया तथा मुझे विश्वास है कि भारत सरकार ऐसी अनेक कठिनाइयों को दूर कर सकेगी जिन की ओर उन के द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया था।

बृहस्पतिवार,
१९ फरवरी, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

३८३

लोक सभा

वृहस्पतिवार, १९ फरवरी, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

---

३ म० प०

वर्ष १९५२-५३ के लिए अनुपूरक अनुदानों का मांगे

मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—१,९२,००० रुपए

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोड): टिप्पणी की मद संख्या (७) में मुख्य कार्यालय तथा पत्रज कार्यालयों से आयात तथा निर्यात सम्बन्धी साप्ताहिक पत्रिका निकालने के लिए ७८,००० रुपये की व्यवस्था की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि यह पत्रिका कब से प्रकाशित होने लगी है । यदि वह कुछ महीने पूर्व प्रकाशित होने लगी थी तो यह खर्चा बजट या अनुपूरक मांग में शामिल कर लिया जाना चाहिए था । क्या यह पत्रिका हाल ही में मांग स्वीकार हो जाने के पश्चात् प्रकाशित होने लगी है ? यदि नहीं तो इस व्यय को अब शामिल करने की क्या आवश्यकता है ?

दूसरी बात है, वर्दियों पर व्यय । इस र १०,००० रुपये का खर्च दिखाया गया है ।

३८४

मैं जानना चाहता हूं कि अब इस समय वर्दियों पर इतना अधिक खर्च करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी ?

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं जानना चाहूंगा कि एक उप-सचिव तथा अनेक अवर-सचिवों को क्यों नियुक्त किया गया और व्यय मूल बजट में दिखाई गई राशि से क्यों बढ़ गया । जैसा कि मेरे मित्र ने अभी बतलाया है विदेशी व्यापार नियंत्रण मद के अन्तर्गत पत्रिका का प्रकाशन करने की क्या आवश्यकता था । 'ई' मद के अन्तर्गत छुट्टी तथा प्रतिनियुक्तिवेतन के लिये २५,००० रुपये की मांग की गई है । क्या दरें बढ़ा दी गई हैं अथवा अधिक अधिकारी छुट्टी पर चले गये हैं ? जब तक यह बातें स्पष्ट रूप से नहीं बतलाई जातीं तब तक एक दिन के अन्दर इतनी बड़ी राशि को मंजूर कैसे किया जा सकता है । इन बातों पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जहां तक मालावार से आने वाले मेरे मित्र के प्रश्न का सम्बन्ध है, साप्ताहिक पत्रिका को छापने का काम ५ जुलाई, १९५२ को आरम्भ किया गया था । उस समय तक चालू वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव तैयार किये जा चुके थे । मेरे विचार में उनका यह कहना ठीक नहीं है कि क्योंकि कुछ समय पहले अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगें रखी गई थीं इसलिए इसको भी

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

इसी में शामिल कर लिया जाना चाहिये था शामिल या न शामिल करने का प्रश्न वित्त मंत्रालय पर छोड़ दिया जाना चाहिये। यह सत्य है कि निश्चय ५ जुलाई १९५२ को किया गया था तथा हम साप्ताहिक पत्रिका को छपवाते रहे हैं। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब आरम्भ हुआ। मैंने बतलाया कि उसका प्रकाशन ५, जुलाई, १९५२ को आरम्भ किया गया था जबकि वार्षिक बजट के प्रस्ताव तैयार हो चुके थे।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : इसे आरम्भ करने का निश्चय कब किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमने उसे आरम्भ करने का निश्चय अपने मन में कभी भी किया हो किन्तु वास्तव में वह ५, जुलाई, १९५२ से आरम्भ हुई थी।

श्री एस० एस० मोरे : आरम्भ करने का निश्चय कब किया गया था ? आपने क्या सोचा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विशिष्ट निश्चय कब किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं यह बतलाने में असमर्थ हूं कि वास्तव में यह निश्चय कब किया गया था। मैं केवल यह बतला सकता हूं कि उसका प्रकाशन, वास्तव में, कब आरम्भ हुआ था और कब से खर्चा बढ़ा। इसलिये इसको पहले बजट में शामिल नहीं किया जा सका।

जहां तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दियां देने का सम्बन्ध है, उन्हें मार्च, १९५२ तक केवल आधे पैमाने पर वर्दियां दी जाती थीं। उन्हें पूरे पैमाने पर वर्दियां देने का निश्चय किया गया.....

श्री एस० एस० मोरे : आप यह बतलायेंगे कि आधे पैमाने और पूरे पैमाने की वर्दियों का क्या अर्थ है ? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वर्दी का केवल आधा भत्ता दिया जाता था। इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें केवल आधे कपड़े दिये जाते थे।

श्री एस० एस० मोरे : हमने भी यह अर्थ नहीं लगाया था।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मद ए० आई० में अधिकारियों के वेतन की मांग रखी गई है। मेरे मंत्रालय को ३०,००० रुपये की आवश्यकता है जिसमें से १५,००० रुपये एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त किये गये अधिकारी पर व्यय होंगे जोकि घरेलू उद्योग के सम्बन्ध में रखा गया है। उस अधिकारी ने फरवरी तक मेरे मंत्रालय में कार्य किया। उसको नियुक्त करने का निश्चय पिछले बजट के तैयार हो जाने के बहुत अधिक समय पश्चात् किया गया था। वह एक अवकाशप्राप्त उद्योग संचालक था। हमें जो कार्य करना था उसके लिए हमने उसे उपयुक्त पाया। घरेलू उद्योग कार्यकल्याण में वृद्धि होने के कारण ही एक अतिरिक्त उप-सचिव तथा दो अवर-सचिवों के पदों की मंजूरी दे दी गई थी। शेष खर्च सदन द्वारा वायदे के सौदे (नियमन) सम्बन्धी अधिनियम पारित कर देने के फलस्वरूप बढ़ा है।

मद क-३ का सम्बन्ध वस्तु नियंत्रण समिति तथा राज्य व्यापार समिति से है। मैंने सदन को आश्वासन दिया था कि हम वस्तु नियंत्रण को एक रूप दे देंगे। अतः इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य ने उसका सभापति होना स्वीकार कर लिया। उस समिति के अन्य सदस्य विभागीय अधिकारी थे।

राज्य-वाणिज्य के सम्बन्ध में सदन को बहुत अभिरुचि है । हमने अनुभव किया कि रिपोर्ट का तैयार किया जाना बहुत आवश्यक है । इस कार्य के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी । माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि हाल ही में एक समिति भेषजीय उद्योग की जांच करने के लिए नियुक्त की गई है । अभी खर्चा नहीं हुआ है । परन्तु इसी वित्तीय वर्ष में खर्चा होने की संभावना है ।

जहां तक विदेशी व्यापार नियंत्रण का सम्बन्ध है, हमें एक अधिकारी को विशेष कार्य के लिए नियुक्त करना पड़ा जिससे वह आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूचियों में प्रयोग होने वाली नामावली को लगभग उसी प्रकार का बना दे जोकि तटकर अनुसूचियों में प्रयोग होती ह क्योंकि हमें—जनता को भी—आयात लाइसैन्स अधिकारियों द्वारा दिये गये लाइसैन्स के अन्तर्गत आयात किये गये सामान को हटवाते समय आगमशुल्क के सम्बन्ध में कठिनाई अनुभव होती थी । अधिकारी ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ।

१५ जनवरी को कोचीन में आयात तथा निर्यात नियंत्रण का एक नया कार्यालय खोला गया था । हमें इसके लिये भी व्यवस्था करनी थी क्योंकि हम पिछले बजट प्राक्कलन में इसका अनुमान नहीं लगा सके थे ।

जहां तक २५,००० रुपये का सम्बन्ध है यह मामला समायोजन का है । यह इस वर्ष नहीं हुआ है किन्तु जब बंगाल संवर्ग के एक अधिकारी ने, जो पहले वाणिज्य मंत्रालय में था, छुट्टी मांगी, जिसे हमें देने का अधिकार था, तो हमें इस सम्बन्ध में समायोजन करना पड़ा । उसका छुट्टी भत्ता देना था तथा साथ ही इस मंत्रालय को हमारे ही मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी का भी छुट्टी भत्ता देना था । यही कारण है कि स राशि को यहां लाना पड़ा ।

हमारी मांगों की कुल राशि यही है ।

मांग स्वीकार कर ली गई ।

मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आधीन विविध विभाग तथा व्यय—१,४६,००० रुपए बचत

श्री एम० एस० गुरूपादंस्वामी (मैसूर) : मैंने इस सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव रखा है और मेरे विचार में उसका रखा जाना भी महत्व की बात है क्यों इस मांग को स्वीकार कर लेने से हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । इंग्लैंड में मई या जून में राज्याभिषेक होने वाला है और माननीय मंत्री जी वहां भारतीय वस्तुओं की एक प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहते हैं ; क्या हमारा इस प्रकार के राजनैतिक समारोह में भाग लेना उचित है ? इसका अर्थ यह हुआ कि भारत सरकार इस राजनैतिक समारोह में भाग लेकर उसी साम्राज्य का एक अंग बन रहा है । परन्तु मेरे विचार में ऐसा करना हमारे देश के गौरव और सम्मान के विरुद्ध है । यदि सरकार भारतीय वस्तुओं का प्रचार ही करना चाहती है तो और बहुत से अवसर आते रहते हैं । टोरोन्टो की प्रदर्शनी में भाग लेने के सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । नैतिक रूप से हम इस मांग को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकते ।

प्रदर्शनी के लिए इस समय केवल १,११,००० रुपये की मांग की गई है किन्तु व्यय इससे कहीं अधिक होगा । क्या हमारा लाखों रुपया व्यय करना लाभदायक सिद्ध होगा ? कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे सकता है । यदि हमने इस प्रदर्शनी में भाग लिया तो भारत के शत्रु इसका लाभ उठाने में कभी न चूकेंगे । वे कहेंगे, भारत तो इंग्लैंड का साथी है, वह तो ब्रिटिश राज्य का ही एक अंग है । हमारा इस प्रदर्शनी में भाग लेना किसी प्रकार भी उचित नहीं है ।

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

तटकर आयोग को मोटर उद्योग के सम्बन्ध में जांच करने में सहायता देने के लिए एक मोटर विशेषज्ञ की व्यवस्था की गई है। मेरे विचार में इस प्रकार विशेषज्ञ और किसी जांच के सम्बन्ध में नहीं रखा गया। हाल ही में रेशम उद्योग के सम्बन्ध में तटकर आयोग ने जांच की थी किन्तु इस प्रकार कोई विशेषज्ञ नहीं रखा गया। विशेषज्ञ को २४,००० रुपये पर रखा गया है किन्तु यह नहीं बतलाया गया कि उसको किन किन शर्तों पर रखा गया है तथा विशिष्ट रूप से उसका कार्य क्या होगा। इन परिस्थितियों में हम इस मांग को स्वीकार नहीं करना चाहते।

अन्त में, मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग करना एक वार्षिक प्रथा सी बन गई है। मेरे विचार में केवल बजट ही वर्ष भर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब असाधारण व्यय करना पड़े तभी मंत्रालय को अनुपूरक मांग रखनी चाहिए। अनुपूरक मांगो का रखना अच्छी आर्थिक नीति का द्योतक नहीं है। सरकार को इस मामले में अधिक दूरदर्शिता तथा सूझ-बूझ से काम लेना चाहिए।

मोटरों को सरक्षण

श्री के० के० बसु : इसके पूर्व कि मैं मोटरों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में रखे गये अपने कटौती प्रस्ताव पर कुछ कहूं, मैं अपने माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि हमें राज्याभिषेक के अवसर पर लन्दन में प्रदर्शनी का आयोजन नहीं करना चाहिए। यद्यपि, १,११,००० रुपये की राशि कनाडा तथा लन्दन में होने वाली प्रदर्शनियों में व्यय करने के लिये रखी गई है किन्तु मेरे विचार में इस का अधिकतर भाग लन्दन में ही खर्च होगा। यदि राज्याभिषेक के अवसर पर हम ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं तो उससे हमें कोई लाभ न होगा बल्कि इससे यही जाहिर होगा कि हम इस प्रकार ब्रिटेन की महारानी के प्रति अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। आखिरकार, हम ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य क्यों रहना चाहते हैं? वर्ष १९४७ के पश्चात् से हमें कुछ भी तो लाभ नहीं हुआ है। सदन में बार बार इस बात की मांग किये जाने पर भी कि हमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो जाना चाहिए, सत्तारूढ़ दल राष्ट्रमण्डल में ही बने रहने की दलीलें देता रहता है अब समय आ गया है जब हमें अलग हो जाना चाहिए। संसद इस मांग को किसी भी दशा में स्वीकार करने के लिय तैयार नहीं है।

दूसरी बात है, तटकर आयोग द्वारा मोटर उद्योग के सम्बन्ध में जांच करना, जिसके लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया है। मोटर उद्योग को संरक्षण देने के लिए तटकर आयोग जो जांच कर रहा है उसमें सहायता देने के लिए किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी जबकि समस्त सूचना उद्योग से ही प्राप्त हो सकती थी। यदि नियुक्त करना ही था तो क्या कोई भारतीय नहीं नियुक्त किया जा सकता था? किसी विदेशी को केवल जांच में सहायता देने के लिए २४,००० रुपये पर रखना कहां कि बुद्धिमानी है? मेरे विचार में विशेषज्ञ को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। मैं इस मांग का विरोध करता हूं।

श्री एस० एस० मोरे : मोटर विशेषज्ञ के लिए २४,००० रुपये की व्यवस्था करने का मैं घोर विरोध करता हूं। तटकर आयोग अधिनियम की धारा ४ के अनुसार आयोग के सदस्य अधिकतर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें

प्रशासन, उद्योग व वाणिज्य का काफी अनुभव होता है। फिर विशेषज्ञ की क्या आवश्यकता थी ? अब तक ऐसा नहीं हुआ है लेकिन यह आगे के लिये उदाहरण बन जायेगा। यदि हम हर एक उद्योग के लिये इसी प्रकार विशेषज्ञ नियुक्त करते रहे तो काम कैसे चलेगा। हम यह भी नहीं जानते कि वह है कौन, उसकी योग्यतायें क्या हैं, वह कितने समय के लिये रखा गया है, आदि। यह विशेषज्ञ उद्योग में ही लगे रहते हैं। उनका उद्योगपतियों से काफी परिचय होता है हो सकता है विशेषज्ञ आयोग को ऐसी राय दे जो उद्योगपतियों के लाभ की हो और इतना संरक्षण प्रदान कर दिया जाये जितने कि आवश्यकता न हो।

जहां तक लन्दन में प्रदर्शनी करने का प्रश्न है मेरे विचार में हम कोई ऐसी वस्तु तो बनाते नहीं हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय मेलों प्रदर्शन किया जा सके। हम तो कच्चा माल सप्लाई करते हैं, तो क्या हम वहां कच्चे माल का प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनी करना चाहते हैं ? इससे तो यह कहीं अच्छा होगा यदि इस प्रदर्शनी पर व्यय की जाने वाली राशि अकाल को दूर करने, सिंचाई की सुविधायें आदि बढ़ाने पर खर्च की जाये। मैं इस बात को कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था किन्तु मांग संख्या ४ के मद २ के अन्तर्गत (ग) में बतलाया गया है कि यह प्रदर्शनी 'पूर्णतः भारतीय' होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस 'पूर्णतः भारतीय' का क्या अर्थ है ? इसका तो यह अर्थ हुआ कि स्वयं महारानी से बढ़कर हम उनके राज्याभिषेक में अपने उत्साह का प्रदर्शन करना चाहते हैं। मुझसे पूर्व बोलने वालों ने जो युक्तियां दी हैं उनको तो मैं दोहराना नहीं चाहता किन्तु इस तमाशे में भाग लेना किसी भी प्रकार लाभप्रद नहीं है।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री कम से कम इस प्रश्न का उत्तर देंगे ही कि राज्याभिषेक के सम्बन्ध में लन्दन में जो प्रदर्शनी हो रही है वह सामान्य प्रदर्शनी है अथवा यह एक ऐसी प्रदर्शनी है जिसमें केवल भारत ही भाग ले रहा है। यदि केवल भारत ही प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है तो यह एक दूसरी बात हो जाती है। यदि यह एक सामान्य प्रदर्शनी है जिसमें अन्य देश भी भाग ले रहे हैं तो हमारे भाग लेने से कोई हानि नहीं होने की। अनेक देशों से लोग राज्याभिषेक देखने आयेंगे और यदि हम इस अवसर का लाभ उठाकर प्रदर्शनी में भाग लेते हैं तो हमें अपनी वस्तुओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार ढूंढने में काफी सहायता मिलेगी। यदि यह एक सामान्य प्रदर्शनी है तो मैं इस में भारत द्वारा भाग लेने का समर्थन करता हूं।

मोटर उद्योग के सम्बन्ध में जो जांच की जा रही है उसमें सहायता देने के लिए विशेषज्ञ रखा जाये अथवा नहीं इस बारे में काफी मतभेद है। पहली बात तो यह है कि हमें विशेषज्ञ बहुत सोच समझ कर रखने चाहियें क्योंकि बहुधा वे काम बनाने की बजाय बिगाड़ कर रख देते हैं। मेरे विचार में जो व्यक्ति रखा गया है उस पर किसी प्रकार का राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता है। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई आज यह है कि हम तब तक सस्ती मोटरें तैयार नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन्हें बड़े पैमाने पर अधिक संख्या में नहीं बनाया जाता है। यदि हम अधिक संख्या में मोटरें तैयार करते हैं तो उनको खरीदने वाले चाहियें, किन्तु भारत में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। यदि हम उन्हें बाहर

[श्री एस० पी० मुकर्जी]

भेजना चाहते हैं तो उनमें सुधार करने की आवश्यकता होगी । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम यहां पर मोटर नहीं बनाते बल्कि उन्हें उनके भाग जोड़ कर तैयार करते हैं । भारत में ऐसी फैक्टरियां भी हैं जो मोटर के पुर्जे तथा भाग तैयार करने में लगी हुई हैं । फिर भी, इस ओर हमें बहुत कुछ करना है । अतः विशेषज्ञ के नियुक्त किये जाने का मैं विरोध नहीं करता हूं। परन्तु माननीय मंत्री को यह पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वह हर तरह से योग्य है अथवा नहीं तथा उन कठिनाइयों को समझ सकता है अथवा नहीं जिनका हमारे मोटर उद्योग को सामना करना पड़ रहा है ।

अन्तरकालीन अवधि के लिए सरकार ने विदेशों से मोटरों के आयात करने के सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा कर दी है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री का उसमें कोई विशेष परिवर्तन करने का इरादा है । क्योंकि यदि इस नीति में विशेष परिवर्तन किया गया तो मोटर उद्योग के लिये नई समस्याएं उठ खड़ी होंगी । ऐसा होने पर चाहे आप कितने ही विशेषज्ञ बुला लें और चाहे तटकर आयोग कितनी ही रिपोर्टें दे दे, आप चाहते हुए भी उद्योग की सहायता न कर सकेंगे ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : श्री मोरे ने यह प्रश्न उठाया था कि विशेषज्ञों को नियुक्त करने का क्या कोई दृष्टान्त है ? मैं उन्हें बतला दूं कि इस्पात का निर्माण मूल्य निर्धारण करने के लिए एक अमेरिकन विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया था। देश में यह धारणा फैलती जा रही है कि विदेशी मोटर कम्पनियां भारत में मोटर उद्योग को पनपने नहीं देना चाहती हैं । अतएव , मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह सदन को विश्वास में लेकर यह बतलायें कि जो विशेषज्ञ रखा गया है वह तटकर आयोग को मोटर उद्योग के सम्बन्ध में केवल टेकनीकल बातों के बारे में सलाह देगा या वह दीर्घकालीन नीति के बारे में भी सलाह देगा । मेरा केवल इतना निवेदन है कि जब हम बाहर से विशषज्ञों को बुलायें तो उन्हें इस बारे में स्पष्ट तथा निश्चित हिदायतें दें देनी चाहियें कि उनको इसलिए रखा गया है कि वे आयोग को केवल टेकनीकल बातों के सम्बन्ध में सलाह दें तथा सामान्य नीति के मामलों से बिल्कुल दूर रहें ।

राज्याभिषेक के समय प्रदर्शनी करने के सम्बन्ध में जो चर्चा उठाई गई है उसको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ है । क्योंकि हर व्यापारी यही चाहता है कि जब कोई मेला तमाशा हो तो वह अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करे जिससे उसकी बिक्री अधिक हो । राज्याभिषेक के अवसर पर अनेक देशों से लोग आयेंगे और उस समय प्रदर्शनी का आयोजन करना कोई अनुचित बात नहीं है । इससे तो हमें ही लाभ पहुंचेगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री मोरे ने कहा था कि हम केवल कच्चा माल ही निर्यात करते हैं और क्या हम उसकी प्रदर्शनी करेंगे । परन्तु मैं उनको बतला दूं कि हम केवल कच्चा ही माल नहीं बल्कि तैयार की गई वस्तुओं का भी निर्यात करते हैं जैसे, सिलाई की मशीनें, पंखे, बिजली का सामान, आदि । अतः प्रदर्शनी में भाग लेना हमारे लिए हर प्रकार से लाभदायक सिद्ध होगा ।

श्री वी० पी० नायर : (चिरायिन्किल) : मैं विशेषज्ञों के नियुक्त किये जाने का विरोधी हूं क्योंकि माननीय मंत्री अनेक बार कह चुके

हैं कि तटकर आयोग में केवल विशेषज्ञ ही होते हैं। यदि यह बात है तो फिर आयोग को इस जर्मन विशेषज्ञ की सहायता लेने की क्या आवश्यकता है। मेरे विचार से उसको नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं अपने पूर्वाधिकारी डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सारी बातों को सही रूप में रख दिया। मैं पहले उस अनुदान को लूंगा जिसके अनुसार मोटर विशेषज्ञ को भुगतान किया जाना है। वास्तव में इस कार्य के लिए ४०,००० रुपये की आवश्यकता है। तटकर आयोग को नियत की गई राशि में से हम १६,००० रुपये का तो समायोजन कर सके हैं किन्तु अब केवल २४,००० रुपये की और आवश्यकता है। मेरे विचार में डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने इस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि यह विशेषज्ञ किसी निर्दिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया गया है क्योंकि तटकर आयोग से यह बतलाने के लिये कहा गया है कि मोटर उद्योग को संरक्षण दिया जाये अथवा नहीं और यदि दिया जाय तो वह किस प्रकार का हो। संयोगवश जितने भी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं वह किसी न किसी ऐसी कम्पनी से सम्बन्ध रखते हैं जो भारत में या तो मोटर बनाने या उनके भाग जोड़ कर उन्हें तैयार करने या उनके बेचने के कार्य में लगी हुई हैं। अतएव हम उन में से किसी की भी सलाह तटकर आयोग के लिये ठीक नहीं समझते। हमने बाहर से एक विशेषज्ञ प्राप्त करने का विचार किया। हमें अमरीकन विशेषज्ञ मिल सकता था। परन्तु उसका सम्बन्ध किसी न किसी ऐसी कम्पनी से होता जो इस देश में कार्य कर रही होती। इसी कारण से हम अंग्रेज़ विशेषज्ञ को भी नहीं ला सकते थे। अतएव, हमने इस पर कुछ समय तक विचार किया। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात् ही हम इस जर्मन विशेषज्ञ को प्राप्त करने में सफल हो सके। इस विशेषज्ञ का किसी भी ऐसी मोटर कम्पनी से सम्बन्ध नहीं है जो भारत को मोटरें भेजती हो। इसके अतिरिक्त अनुभवी लोगों ने हमें विश्वास दिलाया कि यह एक ऐसा विशेषज्ञ है जो तटकर आयोग को समस्त सहायता दे सकता है।

केवल इतनी ही बात नहीं थी। इस मामले के सम्बन्ध में केवल वही ऐसा विशेषज्ञ नहीं था जिससे तटकर आयोग ने अपने काम में सहायता ली हो। हमने तटकर आयोग के साथ रक्षा मन्त्रालय का एक अधिकारी भी लगा दिया है जो इस विशेष मामले की देखभाल करता है, जो एक निपुण इंजीनियर है तथा इस सम्बन्ध में बिना किसी पक्षपात के राय दे सकता है। तटकर आयोग की सहायता के लिये इन दो विशेषज्ञों को रखा गया है।

जर्मनी से हमारा इस प्रकार विशेषज्ञ प्राप्त करना ठीक या उचित है अथवा नहीं यह बात सरकार पर छोड़ देनी चाहिए। हमने इस बात का अनुभव किया कि विशेषज्ञ की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में हमने पूरी सावधानी से काम लिया है कि अन्तिम राय के सम्बन्ध में ऐसे विशेषज्ञ को कुछ भी कहने का अधिकार न हो। इस प्रकार सावधानी से कार्य करने के पश्चात् सरकार अनुभव करती है कि यह उचित है। यह ऐसा व्यय है जिसका कुछ भाग समायोजन द्वारा ठीक कर लिया गया है। विशेषज्ञ बहुत शीघ्र ही वापस चला जायगा। और तटकर आयोग की जांच कहीं मार्च के अन्त तक समाप्त होगी। वह चला गया होता यदि वह बीमार न होता। हो सकता है वह कुछ सप्ताह और रह जाय। विशेषज्ञ के सम्बन्ध में जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने रख दी।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

निस्सन्देह, यदि विरोधी दल इस बात का अनुभव करता है कि मोटर उद्योग को किसी प्रकार का संरक्षण देना गलती थी तो उन्हें इस बात की पूरी स्वतन्त्रता है कि वह इस बात को उस समय सदन में उठाये जब तटकर आयोग के निर्णय के सम्बन्ध में सरकार अपनी कार्यवाही पेश करे ।

मेरे माननीय मित्र डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने दिये जाने वाले संरक्षण के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया था । जितना संरक्षण अब दिया गया है वह स्वयमेव संरक्षण नहीं है । ऐसा हमको अधिकतर विदेशी मुद्रा विनिमय को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है । अपनी विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति के सम्बन्ध में मोटरों तथा ट्रकों के आयात का निश्चय करते समय हमें यह भी खयाल रखना पड़ता था कि इस देश में मोटर तथा ट्रक बनाये या तैयार किये जा सकते हैं तथा सरकार ने अपने इस अधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं लाइसैन्सों को पुनः मान्यता प्रदान करने के लिए किया था जो दिये जा चुके थे । बाज़ार में मन्दी का ध्यान रखते हुए पिछले अर्धवर्ष के दौरान में दिये गये लाइसैन्सों की संख्या कम करनी पड़ी थी । अतः जब तक हम तटकर आयोग की रिपोर्ट को आधार मान कर इस प्रश्न का निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो जाते तब तक सरकार भविष्य में इस विषय पर जो निश्चय करेगी वह केवल दो ही बातों पर आधारित होगा अर्थात् हमारी विदेशी मुद्रा-स्थिति अथवा देश की आवश्यकता पर । यह आश्वासन मैं माननीय सदस्य को दे सकता हूं । यह स्वयमेव-संरक्षण का प्रश्न नहीं है । तटकर आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही संरक्षण के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा ।

जहां तक प्रदर्शनी का सम्बन्ध है, मैं एक बार पुनः डा० मुकर्जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करता हूं क्योंकि उन्होंने स्थिति को बिल्कुलसाफ साफ रख दिया है । वे ही शब्द, जो साम्यवादी दल के स्थानापन्न नेता की आंखों में ग़लत प्रतीत होते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है उन्हीं शब्दों से उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है । ब्रिटिश महारानी का इंग्लैण्ड में राज्याभिषेक किया जाना एक ऐसा अवसर है जिसे देखने के लिए समस्त विश्व से लोग आते हैं । अपनी राजनीतिक सच्चाई या सिद्धान्तों का किसी भी प्रकार बलिदान किये बिना मैं कहता हूं कि यह मेरा अधिकार है कि मैं भी, उस साधारण व्यक्ति की तरह जो इस देश के वाणिज्यिक तथा औद्योगिक हितों को बढ़ाना चाहता है, समस्त ऐसे अवसरों का लाभ उठा कर उन्हें बढ़ाऊं । ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों को इस सदन से बाहर का कोई अनुभव नहीं है । यदि वे किसी हिन्दू उत्सव में भाग लेने गये होते तो उन्हें पता चलता कि मुक्ति-सेना का एक व्यक्ति यह प्रचार करता है कि मुक्ति पाने का मार्ग है 'नेजरीन' में भरोसा करना--मेरे विचार में उसके मन में यह धारणा कभी उत्पन्न नहीं होती कि ऐसा करना उसके सम्मान के विरुद्ध है या उसने हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों के सामने घुटने टेक दिये ह--वह तो केवल यह सोचता है कि उन लोगों को जमा करने का यह एक अच्छा अवसर है जो 'नेजरीन' में विश्वास करते हैं । उसी प्रकार, यदि संसार के किसी भाग में ऐसा अवसर उत्पन्न होता है जहां इस देश के व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ाया जा सकता है तो मेरे विचार में मुझे ऐसे अवसर से लाभ उठाने का पूरा अधिकार प्राप्त है ।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा) : इसी तरह तो आप अनेक देशों के लिए द्वार बन्द कर देते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ऐसा नहीं करता, कम से कम माननीय सदस्य की भांति मैं अपने मस्तिष्क का द्वार अनेक बातों के लिए बन्द नहीं कर लेता । ठीक यही स्थिति है । वाणिज्य तथा उद्योग का प्रभारी मंत्री होने के कारण मेरा राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है । और यदि अपने कार्य से मैं कोई ऐसी बात कर रहा होऊंगा जो कि--साम्यवादी दल के स्थानापन्न नेता द्वारा इस चर्चा के सम्बन्ध में प्रयोग किये गये शब्द के अनुसार--इस देश की प्रतिष्ठा के 'प्रतिकूल' है, यदि मैं कोई 'प्रतिकूल' कार्य करता हूं तो मुझे उसका ज्ञान होना चाहिए और मैं वह कार्य नहीं करूंगा । परन्तु मेरे विचार में हम ऐसा कार्य नहीं करते । यदि उस ओर बैठे हुए मेरे मित्र को फूल की गंध पसन्द नहीं है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। उनकी नाक ही में कुछ खराबी है । यदि मेरे विचार में देश के हित में कोई बात करना बिल्कुल उचित और ठीक मालूम देती है और उन्हें 'प्रतिकूल' मालूम पड़ती है तो उनका दृष्टिकोण ग़लत है । मेरे विचार में तो ऐसा नहीं है, हो सकता है उनके दृष्टिकोण से हो। देखा जाय तो यह उनका निजी दृष्टिकोण है। वह सोचते हैं कि वह यथार्थता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं किन्तु मेरे विचार में यह उनका निजी दृष्टिकोण है । हमें अब इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा आगे बहस नहीं की जा सकती है।

कटौती प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री गुरुपादस्वामी ने जो आपत्ति उठाई है उस के सम्बन्ध में मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं कि इसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि हम राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं । राष्ट्रमण्डल प्रदर्शनी के रूप में जो प्रदर्शनी की जा रही है या जो ब्रिटिश व्यापारी मेला या इंजीनियरिंग मेला प्रति वर्ष हो रहा है और जिसकी इस वर्ष बड़े पैमाने पर मनाये जाने की सम्भावना है, उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । हम इस अवसर पर भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं जिससे हमें व्यापार बढ़ाने में लाभ हो । चाहे राष्ट्रमण्डलीय देशों ने या ब्रिटिश औद्योगिक वर्गों ने किसी अन्य योजना को क्यों न बनाया हो किन्तु हम पूर्णतः उससे अलग काम करेंगे । यही कारण है कि हमने "पूर्णतः" शब्द का प्रयोग किया है जोकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को पसन्द नहीं है । हम ऐसा किसी अन्य देश के साथ मिल कर नहीं करेंगे । यह पूर्णतः पृथक् रूप से किया जायेगा जहां केवल भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन होगा। प्रदर्शनी केवल ब्रिटिश लोगों के लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए आयोजित की जायेगी । अमेरिकन लोग आयेंगे । मेरे विचार में कुछ लोग "लोहे के पर्दे" वाले देशों से भी आयेंगे।

श्री गुरुपादस्वामी ने यह आपत्ति उठाई है कि सरकार प्रदर्शनी में भाग क्यों ले रही। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है । मेरे विचार में ऐसा करना देश की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल नहीं है । सरकार ने इन समस्त बातों पर विचार करने के पश्चात् ही यह निश्चय किया था कि एक प्रदर्शनी होनी चाहिये जोकि पूर्णतया भारतीय हो तथा इसका और किसी प्रदर्शनी से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । मेरे विचार में इससे उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है।

एक दूसरी बात यह उठाई गई थी कि इस प्रकार की अनुपूरक अनुदान मांगें नहीं रखी जानी चाहिए बल्कि केवल एक बार

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

बजट ही पेश होना चाहिए। इसका तो यह अर्थ हुआ कि सरकार को और कोई दूसरी ठीक बात नहीं करनी चाहिए जिसका कि उसने बजट बनाते समय अनुमान न लगाया हो। होता यह है कि बाद में बहुत सी बातें हो जाती हैं इस पर भी उसे इस सदन की नीति का तथा अपनी नीति का पालन करना होता है जिसमें व्यय हो ही जाता है। जब हमने संविधान बनाया था तो हमने अनुपूरक अनुदानों के लिए व्यवस्था कर दी थी क्योंकि हमने इस बात का अनुभव किया कि ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता जायगा, बहुत सी बातें जरूरी हो जायेंगी, सरकार को व्यय करना पड़ेगा और वह सदन के सामने समय समय पर उनके लिए राशि प्राप्त करने के लिए आयेगी।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मुझे ज्ञात नहीं है कि यदि मैं अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में जो भ्रम फैला हुआ है उसे दूर कर दूं तो अनुदानों की चर्चा में सहायता मिलेगी। सबसे पहले तो यही कि जब हमने पिछली बार सदन के सम्मुख अनुपूरक अनुदान रखे थे तो उसने उन्हें पारित कर दिया था, इसलिए उनको फिर से इस प्रकार शामिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सदन तो उन पर विचार कर के उन्हें पहले ही पारित कर चुका है। वास्तव में, सबसे बड़ी राशि थी ६ करोड़ रुपये की जिसमें चीनी के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति जोकि लगभग साढ़े चार रुपये थी तथा पुनर्वास पर सवा करोड़ रुपये की राशियां शामिल थीं। यह दो बड़े मद थे।

जहां तक इस सूची का सम्बन्ध है इसमें महत्वपूर्ण मद ह—खाद्य सहायता ६.११ करोड़ रुपये। यह निश्चय बजट पारित होने के पश्चात् हुआ है।

डा० एस० पी० मुकर्जी : कौन सी मांग ?

श्री सी० डी० देशमुख : मांग संख्या ४९. यहां पर पहली सूची में माननीय सदस्यों के लिए राशि ढूंढ लेना आसान है। यह पृष्ठ के बीच में है।

ऐसा हमें बजट पास हो जाने के पश्चात् करना पड़ा था। सहायता देने के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई थी उसको हमने ध्यान में रखा था। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद २७३ और २७५ के अन्तर्गत राज्यों को सहायता अनुदान देना पड़ा —

५,६५,००,००० रुपये।

ऐसा संविधान के अनुसार नियुक्त किये गये वित्त आयोग के पंचाट के फलस्वरूप हुआ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : रिपोर्ट पर हम लोगों को बहस करने का अवसर दिये ही बिना आप उसे कार्यान्वित कर रहे हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : यह एक दूसरा मामला है। जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है.....

उपाध्यक्ष महोदय : उनका अभिप्राय: इस मांग से है।

श्री सी० डी० देशमुख: .....मुख्यत: पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय, एक करोड़ तथा सात लाख रुपये। केवल अन्य दो बड़ी राशियां पूंजी वाले भाग में हैं। पहले में उधार लिये गये अमेरिकन गेहूं की बिक्री राशि एक विशेष विकास कोष में डाल दी गई है। यह केवल लेखा समायोजन है। एक स्थान पर हम बेचने से प्राप्त राशि को दिखलाते हैं और दूसरे स्थान पर उसी को एक विशेष विकास कोष में डाल देते हैं, अर्थात् हिसाब बराबर रहता है। अन्तिम बड़ी राशि है राज्यों को अतिरिक्त ऋण देने की : १३,२८,००,००० रुपये। यह अकाल सहायता, उपाय

तथा साधन तथा अन्य पूंजीगत व्यय के कारण है। बहुधा वर्ष के दौरान में राज्यों द्वारा अनुमान लगाये गये उपाय और साधनों में अचानक कमी हो जाती है तथा इसीलिए कि उनकी महत्व-पूर्ण परियोजनायें पूरी हो जायें हमें कभी कभी उनके ऋण की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ती है। इसी कारण अतिरिक्त मांग में वृद्धि हो जाती है। मांग संख्या ४ के सम्बन्ध में श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री के० के० बसु द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव सदन ने अस्वीकार कर दिये।

मांग संख्या ४ स्वीकार कर ली गई।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मांगें भी सदन द्वारा स्वीकार की गईं :

मांग संख्या १०—संचरण मंत्रालय के अधीन विविध व्यय—२६,००० रुपये।

मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों तथा खजानों के प्रशासन के लिए अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान—५१,००० रुपये।

मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समन्वय—३७,००० रुपये।

मांग संख्या ५३—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय—१३,८४,००० रुपये।

मांग संख्या ७०—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय—३५,००० रुपये।

मांग संख्या ९१—प्रकाशस्तंभ तथा प्रकाशपोत—४,९९,००० रुपये।

मांग संख्या ९७—नमक—२,००,००० रुपये।

मांग संख्या १०३—क—उप-राष्ट्रपति का सचिवालय—२८,००० रुपये।

मांग संख्या १०५—भारतीय डाक-तार का पूंजी व्यय (राजस्व से न पूरित)—१,००,००,००० रुपये।

मांग संख्या ११२—निवृत्ति वेतनों का निष्क्रयण मूल्य—१०,७७,००० रुपये।

मांग संख्या ११४—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय—१६,५७,३६,००० रुपये।

मांग संख्या १२३—बहुमुखी नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय—१,०८,३०,००० रुपये।

मांग संख्या १२४—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय—८२,००० रुपये।

मांग संख्या १२६—राज्य मंत्रालय का पूंजी व्यय—३६,१७,००० रुपये।

उपाध्यक्ष महोदय : मांग संख्या १ और ४ को छोड़ कर, जिन्हें पहले ही पारित किया जा चुका है, अन्य मांगों पर आगे बहस की जा सकती है।

मांग संख्या ३६—आयु वार्द्धक्य-वृत्तियां तथा विवृत्ति वेतन—१४,००,००० रुपये।

श्री नम्बियार : (मयूरम्) : मान लीजिये यदि कोई अधिकारी पांच वर्ष की स्वीकृति सेवा के पश्चात् मर जाता है तो उसको उसके मासिक वेतन का बारह गुणा उपदान के रूप में दे दिया जाता है। परन्तु क्या यह बात अन्य श्रेणी के अधिकारियों के सम्बन्ध में भी लागू होती है, मेरा अभिप्राय दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणी के अधिकारियों से है ?

[**पंडित थठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार में "अधिकारी" शब्द का प्रयोग बहुत ही सामान्य रूप से किया गया है। वास्तव में, चौथी श्रेणी वह नहीं है जिससे हम पहली या दूसरी श्रेणी या गजटेड अधिकारी समझते हैं—वह तो सब पर सामान्य रूप से लागू होता है, प्रत्येक कर्मचारी—अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही पर। मुझे खेद है कि "अधिकारी" शब्द का ग़लत रूप से प्रयोग किया गया है। प्रत्येक कर्मचारी, जो ऐसी

सेवा में लगा हो जिसमें निवृत्तिवेतन दिया जाता हो, उपदान प्राप्त करने का हकदार होगा।

मांग संख्या ३६ स्वीकार कर ली गई।

मांग संख्या ३८—राज्यों को सहाय अनुदान

सभापति महोदय: मैं यह अनुमान कर लेता हूं कि इस पर बहस नहीं की जायेगी। अब दूसरी मांग को लेता हूं।

श्री सी० डी० देशमुख: यह प्रभृत व्यय है।

मांग संख्या ४९—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीनविविध व्यय—६,११,००,००० रुपये।

डा० एस० पी० मुकर्जी : सरकार की नीति में अब परिवर्तन होने का क्या कारण है। बजट चर्चा के दौरान में माननीय वित्त मंत्री ने आर्थिक सहायता को घटाने के सम्बन्ध में दलीलें दी थीं किन्तु अब उसे बढ़ाने की क्या आवश्यकता आ गई, विशेषकर विदेशी गेहूं के सम्बन्ध में। हम यह भी जानना चाहते हैं कि इसका देश में खाद्यान्नों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

श्री सी० डी० देशमुख : मूलत: यह २० रुपये ८ आने प्रति मन था। बाद में इसे घटा कर १८ रुपये ६ आने प्रति मन कर दिया गया। हमने जब यह निश्चय किया था तो खुले बाज़ार में दाम गिर रहे थे। इसके अलावा जहाज़ों पर अनाज आ रहा था तथा अनाज को रखने के सम्बन्ध में भी कठिनाई का अनुभव हो रहा था। अतएव, हमने जो निश्चय किया वह प्रत्यक्ष बातों को सामने रखते हुए किया। एक ओर तो हमारा स्टाक बढ़ रहा था तथा दूसरी ओर जमा अनाज को निकालने तथा बाहर से आने वाले अनाज को रखने के सम्बन्ध में कठिनाई थी इसलिए मैंने यही सोचा कि यह कहीं अच्छा है कि हम जनता को गेहूं सस्ते दामों पर दे दें—क्योंकि हमने इसके लिए उधार लिये गय धन में से रुपया दिया था—अन्यथा इसके सड़ जाने का भय था।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या वह स्टाक अब तक निबटाया जा चुका है ?

श्री सी० डी० देशमुख: जी हां।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (बसीरहाट) देश में राशन की दूकानों तथा उचित मूल्य वाली दूकानों पर गेहूं तथा अन्य अनाजों का मूल्य बढ़ रहा है। क्या इसका यह अर्थ लगाया जाय कि इन दूकानों पर इस समय जो अनाज दिया जा रहा है वह बाहर से उस समय नहीं आया था जब इस सम्बन्ध में आर्थिक सहायता दी जाती थी अथवा यह बात है कि गेहूं का मूल्य अपने आप बढ़ गया है तथा हम इसके सम्बन्ध में सहायता नहीं दे रहे हैं?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : जहां तक मैसूर और हैदराबाद का सम्बन्ध है वे १८ रुपये ६ आने प्रति मन की दर से भी कम पर बेचने की स्थिति में थे। इस प्रकार उनको जो हानि होती थी वह उसे स्थानीय समाहारित अनाज से हुए लाभ से पूरा कर लेते थे। जब यह लाभ समाप्त कर दिया गया तो उन्हें पुन: उचित मूल्य की शरण लेनी पड़ी। केवल इतनी सी बात थी। यहां तक कि वर्तमान दर भी उचित दर है जिस पर कि हमने उन्हें अनाज दिया है। किसी भी हालत में उन्हें उस उचित मूल्य से अधिक पर बेचने की अनुमति नहीं जिस पर कि हमने उन्हे अनाज दिया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सत्य नहीं है कि मैसूर में मूल्य बढ़ गये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मूल्य बढ़े नहीं हैं। वे इस सम्बन्ध में आर्थिक सहायता नहीं दे सके। कठिनाई केवल इतनी ही थी। हैदराबाद में वे सहायता दे सके और उन्होंने सस्ते दामों पर बेचा। परन्तु अब क्योंकि स्थानीय रूप से समाहारित किये

गये अनाज से प्राप्त होने वाला लाभ समाप्त कर दिया गया है इसलिए उन्हें पुरानी दरों पर ही आना पड़ा है। केवल इतनी ही सी बात है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय वित्त मंत्री की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रति मन दो रुपये की सहायता दी जा रही थी, क्या वह अब भी जारी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं यह बतला दूं कि इस मूल्य में यह अनेक बातें शामिल हैं। गत वर्ष हमने समस्त राज्यों को १८ रुपये ६ आने के हिसाब से गेहूं दिया था। राज्य सरकारें केवल इसमें ढ़ोने की लागत और जोड़ देती हैं। इस प्रकार उनका उचित मूल्य २० रुपये ४ आने होता होगा या हो सकता है यह राज्यों द्वारा ढ़ोने पर खर्च किये गये धन के अनुसार कम या अधिक होता हो। यदि कोई राज्य अपने पुस्तक-मूल्य से कम पर गेहूं बेचना चाहता है तो इस सम्बन्ध में उसे आर्थिक सहायता देने का स्वयं प्रबन्ध करना होगा। या तो वह अपने राजस्व में से दे या पहले किये गये लेन-देन के लाभ का रुपया इसमें लगाये। स्पष्ट है कि मैसूर के पास कुछ ऐसी रकम थी जिसका वह लाभ उठा सकता था और यही कारण है वह मूल्य को पुस्तक-मूल्य से कम कर सका, किन्तु जब वह रकम समाप्त हो गई तो उन्हें मूल्य बढ़ाना पड़ा किन्तु उस मूल्य से अधिक नहीं जिसका मैं उचित-मूल्य या पुस्तक-मूल्य के रूप में निर्देश कर चुका हूं।

डा० एस० पी० मुकर्जी : मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा। वित्त मंत्री के अनुसार यह आयात किये गये गेहूं के सम्बन्ध में लागू होता है जोकि उस समय हमारे पास था। परन्तु इस सहायता के फलस्वरूप अब जिस मूल्य स्तर को स्वीकार कर लिया गया है, क्या इसका यह अर्थ हुआ कि आयात किये गये गेहूं के वर्तमान मूल्य के मुकाबले भविष्य में मूल्य अधिक होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : उसमें से अधिकतर गेहूं अब तक बेचा जा चुका है लगभग ३,००,००० टन बच रहा है। इसके मूल्य को हम अपनी लागत के हिसाब से निश्चित करेंगे और बाद में नया गेहूं इसमें जोड़ दिया जायेगा। सौभाग्यवश, नये गेहूं के लाने का भाड़ा बहुत कम हो गया है, और यह तो मालूम ही है कि भाड़ की दर बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि गेहूं की कीमत में २५ या ३० प्रतिशत भाग भाड़े का होता है। इसलिए हम आशा करते हैं कि अब गेहूं जो हमें प्राप्त होगा उसकी लागत पिछले वर्षों में आयात किये गये गेहूं की लागतों से कहीं कम होगी। हमें इन सब मूल्यों को जोड़ना पड़ेगा और तब कहीं हमारा उचित मूल्य निकलेगा तथा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें पहले कोई हानि तो नहीं उठानी पड़ी है, चालू वर्ष के लिए हम केवल तब ही मूल्य निर्धारित कर सकेंगे। इसके पश्चात् मांग संख्या ४९ स्वीकार कर ली गई।

मांग संख्या ५७--पुलिस--९,९४,००० रुपये

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : इस मांग का सम्बन्ध पार पत्र तथा दृष्टांक प्रणाली से है। आज प्रश्न काल के दौरान में यह सुझाव रखा गया था कि दृष्टांक प्रणाली को समाप्त करके केवल पारपत्र प्रणाली को जारी रखा जाये। मुझे पता नहीं है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है अथवा नहीं। पाकिस्तान के लिए दृष्टांक प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या सरकार का विचार किसी ऐसी प्रणाली

[श्री ए० सी० गुहा]

को अपनाने का है जिससे यात्रियों को दृष्टांक साधारण तौर पर मिल सके ?

एक दूसरी बात जिसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह है दृष्टांकों के अनेक वर्ग । एक ऐसा वर्ग भी है जिसमें वे लोग आते हैं जो दोनों प्रदेशों की सीमाओं के १० मील के अन्दर रहते हों । पारपत्र प्रणाली के लागू किये जाने से पूर्व दोनों ओर के लोग आते जाते थे और अपनी वस्तुओं का क्रयविक्रय करते थे । परन्तु अब यह सब कुछ बन्द हो गया है । इस सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री का ध्यान "जिरातिआ प्रजा" प्रणाली की ओर आकृष्ट करूंगा । मुझे मालूम है कि पूर्वी बंगाल में रहने वाली 'जिरातिआ प्रजा' को समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं । वे त्रिपुरा जाकर अपनी फस्ल को बेच सकते हैं या अपने साथ ला सकते हैं परन्तु त्रिपुरा में रहने वाली 'जिरातिआ प्रजा' पाकिस्तान में जाकर ऐसा नहीं कर सकती है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस कठिनाई को कैसे दूर करेगी ।

पाकिस्तान सरकार पारपत्र और दृष्टांक प्रणाली को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखती है । हो सकता है भारत सरकार किसी व्यक्ति को पारपत्र दे दे किन्तु पाकिस्तान दृष्टांक नहीं देता । देखा जाय तो विभाजन के पश्चात् भी दोनों बंगालों की आर्थिक व्यवस्था अभी अलग अलग नहीं हो सकी है । इन सब बातों के कारण साधारण व्यक्ति को बहुत सी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं । इन्हें दूर किया जाना चाहिए ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : इस सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहूंगा । पहली बात है पूर्वी बंगाल में हमारे अपने दृष्टांक कार्यालयों के अधिक संख्या में खोले जाने की आवश्यकता । दिल्ली में हुए भारत-पाकिस्तान सम्मेलन के अनुसार यह तै हो गया था कि पाकिस्तान सरकार हमारे द्वारा पूर्वी बंगाल में चुने हुए स्थानों पर दृष्टांक कार्यालय खोलने में कोई आपत्ति नहीं करेगी । परंतु पिछली बहस के दौरान में श्री बिस्वास ने बतलाया था कि यद्यपि भारत सरकार को ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु पाकिस्तान सरकार इसके लिए तैयार नहीं है । मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि अब यह मामला किस अवस्था पर है ? क्योंकि दृष्टांक कार्यालयों के खुल जाने से बेचारे गरीब और अशिक्षित साधारण व्यक्तियों को पूर्वी बंगाल के विभिन्न भागों में जो कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं वे न उठानी पड़ेंगी ।

दूसरी बात का सम्बन्ध है पाकिस्तान प्रदेश में भारतीय समावृत बस्तियों से । ऐसे बहुत से गांव हैं । जहां तक भारतीय नागरिकों का पाकिस्तान के अन्दर भारतीय समावृत बस्तियों में रहने का सम्बन्ध है, उनकी हालत अब बहुत ही खराब है । भारत आने के लिए उन्हे पाकिस्तान प्रदेश को पार करने की आवश्यकता होती है तथा उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता है । उनसे कहा जाता ह कि वे आवश्यक पारपत्र तथा दृष्टांक का प्रबन्ध करें। परन्तु उन बस्तियों में ऐसा कोई कार्यालय नहीं है तथा उनके लिये पाकिस्तान प्रदेश को पार करके भारतीय सीमा तक पहुंचना असम्भव है । और तो और इन गावों में भारत सरकार अथवा पश्चिमी बंगाल की किसी पुलिस का भी प्रबन्ध नहीं है । न ही कोई डाकखाना है । इस प्रकार उन्हें बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं । मुझे मालूम है कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है क्योंकि प्रधान मंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि उन्होंने इन क्षेत्रों की जनसंख्या तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में विनिमय करने के सुझाव रखे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अन्दर

भारतीय समावृत बस्तियों में रहने वाले अपने ही नागरिकों को सुरक्षित रूप से भारत लाने के सम्बन्ध में सरकार क्या करने का विचार रखती है ।

श्री दामोदर मेनन: मैं दूसरे मद अर्थात् राजस्थान सशस्त्र पुलिस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । समझौते के अनुसार राजस्थान सरकार भारत-पाकिस्तान सीमा पर निगरानी रखने के लिए सशस्त्र पुलिस की व्यवस्था करती है तथा भारत सरकार इसका आधा खर्च सहन करती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस पुलिस की संख्या, उनके रखे जाने तथा उनके ऊपर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार रखती या सब बातें राजस्थान सरकार पर ही छोड़ दी गई हैं ? आखिरकार, हम साढ़े सात लाख रुपये दे रहे हैं हमारा नियंत्रण तो होना ही चाहिए । क्या गृह मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: हमें बताया गया है कि पारपत्र जांच चौकियों की संख्या २८ से बढ़ा कर ३१ की जाने वाली है । यह हम चाहते हैं कि यह चौकियां अधिकतर ग्रामक्षेत्रों में खोली जायें जिससे ग्रामीण लोग इनका पूरा पूरा लाभ उठा सकें । जब से पारपत्र प्रणाली को लागू किया गया है तब से बेचारे गरीब लोगों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है । हम चाहते हैं कि चौकियों की संख्या और बढ़ा दी जाये । पारपत्र तथा दृष्टांक प्राप्त करने की फीस कम कर दी जाये । क्योंकि गरीब लोगों को तो रोज ही आना जाना पड़ता है । वे इतना खर्च कैसे सहन कर सकते हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : (हज़ारीबाग पश्चिम) : मैं एक बात जोकि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की सीमा के बारे में है जानना चाहता हूं । यह सीमा करीब चार सौ मील पड़ती है । यह बात भी ठीक है कि वहां पर न सब जगह पुलिस ही है और न पलटन ही है । साथ ही साथ रोज़ रोज़ रिपोर्टें आ रही हैं कि पाकिस्तान के हमले हो रहे हैं । मैं गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वहां के लोगों की रक्षा के लिए क्या प्रबन्ध किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि इतनी लम्बी सीमा पर काफी पुलिस या काफी पलटन का रखना भी मुशिकल है । तो क्या वहां के लोगों को हथियार रखने का अधिकार दिया गया है ? मैं इस बारे में गृह मंत्री का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : जैसा कि अभी मेरे माननीय मित्र ने बतलाया हम नीति के सम्बन्ध में चर्चा नहीं कर रहे हैं । मेरे विचार में ऐसा अवसर बहुत शीघ्र ही आने वाला है —एक ही महीने के अन्दर—जब हम पारपत्र और दृष्टांकों के इस जटिल प्रश्न तथा राजस्थान पर पूरी तरह से बहस कर सकेंगे । सदन को मालूम ही है कि हाल ही में एक भारत-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ है जिसमें भाग लेने वालों का उद्देश्य यही था कि प्रक्रिया सरल कर दी जाय तथा लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें मिलें । जहां तक मुझे मालूम है अभी इस समझौते का अनुसमर्थन नहीं हुआ है तथा मेरे विचार में जब तक हम बजट पर बहस शुरू करेंगे तब तक एक मास के अन्दर ही हमें यह अनुसमर्थन प्राप्त हो जायेगा । अनुपूरक मांग का सम्बन्ध वास्तव में खर्चे से है जो बहुत कुछ खर्च किया जा चुका है तथा जो कुछ बातें उठाई गई हैं उन से मैं स्वयं परिचित हूं । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से हर प्रकार की पूछताछ करूंगा और जब बजट की मांगे विचारार्थ प्रस्तुत की जायेंगी तथा यदि किसी बात का स्पष्टिकरण रह जायेगा

[डा० काटजू]

तो मैं माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करने का भरसक प्रयत्न करूंगा । इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है ।

हम सब इस बात पर सहमत हैं कि अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें । जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं तो यही कहूंगा कि पारपत्र प्रणाली बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाये तथा मेरे विचार में पूर्वी बंगाल में भी अधिकतर लोगों की यही राय है, क्योंकि दोनों बंगालों की आर्थिक स्थिति बहुत ही मिली-जुली है विशेष कर कृषि क्षेत्रों में । आप नारंगियों तथा कृषि वस्तुओं में व्यापार करते हैं । सीमा के पांच मील इधर और पांच मील उधर रहने वाले लोग बराबर इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते रहते हैं और जब इस प्रणाली पर विचार किया जा रहा था तो तीन विभिन्न वर्ग थे—१,२ तथा ३. इस बात का ध्यान रखा गया था कि सीमा पर रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त हों ।

श्री ए० सी० गुहा : प्रश्न यह है कि वे सुविधायें सीमा के इस ओर रहने वाले लोगों को भी प्राप्त हैं अथवा नहीं या सीमा के उस ओर रहने वाले लोगों को ही भारत से वे सुविधायें प्राप्त हैं ?

डा० काटजू : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह कार्य एक ही ओर से नहीं हो सकता है अर्थात् केवल उस ओर रहने वाले लोगों को ही समस्त सुविधायें प्राप्त हो जायें । समस्त लोग जो इस ओर आना चाहते हैं, चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान—मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं है—उनके मार्ग में कोई कठिनाई पैदा नहीं करनी चाहिये । मेरे विचार में भारत-पाकिस्तान सम्मेलन में जिन समस्याओं पर विचार किया गया था उनमें से एक यह भी थी । उन्होंने आपस में मिलकर इस बात पर तीन या चार दिन तक मैत्रीपूर्ण ढंग से विचार किया । मेरे विचार में जो बातें उठाई गई हैं उनमें से बहुत सी बातों का हल इस समझौते में शामिल कर लिया गया होगा ।

मेरी माननीय मित्र महिला सदस्या ने देहाती क्षेत्रों कृषि वर्गों का निर्देश किया तथा डा० मुकर्जी ने समावृत बस्तियों का उल्लेख किया । इन मामलों पर विचार किया जायेगा । मुझे आशा है कि जब हम तीन या चार सप्ताह बाद इस विषय पर विचार करेंगे तो मैं यदि पूरी नहीं तो बहुत कुछ सूचना दे सकूंगा ।

जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, जो बात उठाई गई है वह अनुपूरक मांग में दिखाई गई आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में है जिसके बारे में पहले ही समझौता हो चुका है । यह तै हुआ है कि कुछ परिस्थितियों में अर्थात् यदि राज्य सरकार कमी अनुभव कर रही हो तो केन्द्रीय सरकार उसकी सहायता करेगी तथा ५० प्रतिशत भार स्वयं सहन करेगी । हमें अपने वचन पूरे करने हैं । सीमा पर निगरानी ठीक से होती है अथवा नहीं इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है और अधिकतर तो इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है । मैं सदन को केवल इतना आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ज्ञान है तथा हम प्रति दिन यही देखते रहते हैं कि हमारी सीमा बिल्कुल सुरक्षित बनी रहे । वहां पर केवल सशस्त्र पुलिस के रखने का सवाल नहीं है बल्कि, यदि आवश्यकता हो, तो कुछ अन्य व्यवस्था भी करनी होगी । अतएव सदन को इस सम्बन्ध में आशंका करने की आवश्यकता नहीं है ।

एक दूसरी बात यह उठाई गई थी कि क्या केन्द्रीय सरकार का सैनिकों को विशिष्ट

स्थानों पर रखने में कोई हाथ है। देखा जाये पहले यह जिम्मेदारी राज्य की ही है किन्तु जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर काम करती हैं। बातचीत चल रही है और शायद इस समय मेरे लिए यह बतलाना कठिन है कि औपचारिक निर्णय क्या है, फिर भी सदन को इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट रहना चाहिए कि सीमा की उचित रूप से रक्षा करने का सब प्रबन्ध किया जाता है।

मांग संख्या ५७ स्वीकार कर ली गई।

मांग संख्या ६०—अंडमान तथा निकोबार द्वीप—२,४०,००० रुपये

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : 'एस० एस० भारतखण्ड' की चार्टर करने के लिये जिन २,४०,००० रुपयों की मांग की गई है मैं इसका समर्थन करता हूं। यह तो मानी हुई बात है कि भारत और अण्डमान द्वीप के बीच आने जाने की सुविधायें बहुत ही कम हैं। साधारण पत्रों की तो बात ही क्या है सरकारी पत्रों को आने जाने में एक महीना लग जाता है। आप जंगलों को साफ कर वहां लोगों को बसाने की योजना बना रहे हैं। परन्तु यदि आने जाने के साधनों में वृद्धि न की गई तो यह योजना कैसे कार्यान्वित हो सकेगी। इन द्विपों के बीच वायुयान सेवा भी जारी की जानी चाहिए। यही नहीं बल्कि द्वीपों के अन्दर में यातायात की बहुत कठिनाई है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुली नावों में जाना पड़ता है जोकि बहुत खतरनाक होता है। अतएव द्वीपों के बीच भी ऐसे जहाजों का प्रबन्ध होना चाहिए। मेरी सदन से प्रार्थना है कि वह इस मांग को स्वीकार कर ले।

डा० एस० पी० मुकर्जी : मेरे विचार में इस द्वीप का विकास किया जा सकता है तथा वहां पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को बसाया जा सकता है। एक दूसरी बात जिसकी ओर म सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह है इस द्वीप का नाम। अण्डमान द्वीप के नाम से लोगों के म पुरानी बातें उठ खड़ी होती ह इसलिए यह कहीं अच्छा है कि इस द्वीप का नाम अण्डमान से बदल कर "सुभाषद्वीप" कर दिया जाये। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इससे नेताजी सुभाष बोस को प्रसिद्धि मिल जायेगी क्योंकि वह तो अमर हो चुके हैं। बात केवल इतनी ही है कि वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्षेत्र को अंग्रेजों के हाथ से छीना था तथा स्वतन्त्र भारत का झण्डा लहराया था। जब मैं पहले मंत्रिमण्डल में था तो इस सम्बन्ध में करीब करीब निश्चय ही हो गया था परन्तु पता नहीं वह अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया। अतः मामले पर विचार करके शीघ्र ही इस सम्बन्ध में घोषणा की जानी चाहिए।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे मालम हुअ है कि अण्डमान द्वीप के चारों तरफ के पानी में जहाज़ चलाने का ठेका केवल एक ही कम्पनी को दे दिया गया है तथा वह कम्पनी एक विदेशी कम्पनी है। यदि यह बात सत्य है तो क्या माननीय मंत्री यह बात बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस ठेके को समाप्त नहीं किया जा सकता है जिससे द्वीप तक जाने आने के साधनों में वृद्धि हो सके? मेरे विचार में हम इस द्वीप का विकास कर सकते हैं तथा वहां पर पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को आसानी से बसा सकते हैं। जहां तक वहां के जंगलों को साफ करने का सम्बन्ध है मेरे विचार में इसका ठेका किसी पादरी आदि को नहीं दिया जाना चाहिए। यदि वहां भेजे जाने वाले शरणार्थियों को यह आश्वासन दे दिया जाये कि वह जितनी भूमि साफ़ कर लेंगे वह उनकी हो जायेगी तो द्वीप का विकास

[श्री ए० सी० गुहा]

बहुत शीघ्र हो सकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में उन्हें सहायता दी जानी चाहिए।

श्री के० के० बसु : मैं केवल एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। लोगों में यह धारणा फैली हुई है कि यहां से जिन व्यक्तियों को अण्डमान भेजा जाता है उन्हें वहां पर मज़दूरों की तरह काम करने पर मजबूर किया जाता है। लोग समझते हैं कि जंगल कुछ व्यक्तियों को दे दिये गये हैं और उनको उन्हें साफ करवाने का काम दिया गया है। यदि सरकार यह आश्वासन दे दे कि जो जितनी भूमि साफ कर लेगा वह उसकी हो जायगी तो लोगों में वहां जाने के लिए उत्साह पैदा हो जायेगा और वे वहां पर मन लगा कर काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी।

डा० काटजू : यह देख कर मेरा उत्साह बढ़ गया है कि सभी लोग अंडमान द्वीपों तक आने जाने की सुविधाओं में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। इस सदन तथा उस सदन के कुछ सदस्य हाल ही में जांच करने के लिए इन द्वीपों में गये थे तथा वे जो खबरें लाये हैं वे बहुत उत्साहजनक हैं। कोई भी यह नहीं कहता कि इन द्वीपों का विकास नहीं किया जा सकता है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां पर जनसंख्या बहुत कम है। अण्डमान द्वीप में कुल ३८,०००; नीकोबार में १०,००० या इससे भी कम हैं। कठिनाई इस बात की है कि इस समय भी भारत सरकार जो दो स्टीमर चला रही है उनका उपयोग करने वालों की कमी है मैं इस बात का इच्छुक रहा हूं कि हम किसी न किसी वायुयान कम्पनी से इस सम्बन्ध में प्रबन्ध कर सकें कि वह इन द्वीपों में महीने में कम से कम एक दो बार अपना वायुयान भेज सके। यदि ऐसा हो जाय तो बहुत ही अच्छा होगा।

यद्यपि इस मांग का सम्बन्ध प्रवासियों से नहीं है फिर भी, क्योंकि उनके बारे में चर्चा उठाई गई है इसलिए मैं उनके सम्बन्ध में कुछ कह देना चाहता हूं। स्वयं मैं इस बात का इच्छुक हूं कि पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थी वहां पर अधिक संख्या में जाकर बसें। मेरे माननीय मित्रों को चाहिए कि वे अपने भाइयों और बहनों से कहें कि वे वहां जाकर बसें। यदि वे वहां पर स्थायी रूप से रहने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम उनका हर प्रकार से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मजदूरी करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जब वे वहां गये थे तो प्रत्येक को दस एकड़ भूमि तथा बैल और खेती का सामान खरीदने के लिये रुपया दिया गया था। घर का मोह बड़ा होता है। इसलिए हो सकता है कि कुछ वहां से वापस आना चाहते हों।

श्री ए० सी० गुहा : बहुत ही थोड़े लोग।

डा० काटजू : बिहार या उड़ीसा के मुकाबले वे लोग अण्डमान में रहना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि वे ऐसा करना क्यों पसन्द करते हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना हाथ में ली है जिसको कार्यान्वित करने में एक या दो करोड़ रुपये लग जाने की सम्भावना है। द्वीपों का विकास करना, इमारती लकड़ी काटना, जंगल साफ करना, मलेरिया को दूर करना इत्यादि बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें हम वहां पर करना चाहते हैं। उद्देश्य यह है कि वहां चार या पांच वर्ष में २०,००० व्यक्तियों की एक कालौनी बस जाये और यदि आप हमें इतने व्यक्ति दे देते हैं तो हमारा काम और भी सरल हो जायगा।

मुख्य आयुक्त की इससे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि देश में यह धारणा न फले कि भारत सरकार पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को उन द्वीपों में नहीं रखना चाहती है। मैं जानता हूं कि पूर्वी बंगाल के लोग खेती के कार्य में बहुत कुशल हैं यदि वे वहां जाकर बस जाते हैं तो मुझ से अधिक कोई खुश न होगा।

श्री ए० सी० गुहा : अण्डमान के पास वाले समुद्र के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी कम्पनी को वहां जहाज़ चलाने का ठेका दे दिया गया है ?

डा० काटजू : मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है।

मेरे माननीय मित्र डा० श्यामप्रसाद मुखर्जी ने द्वीप के नाम के बदलने के बारे में कुछ कहा है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्यों पर चलाये गये मुकदमों में मैंने भाग लिया था। यह तो सर्वविदित है कि नेताजी सुभाष बोस का देश में क्या स्थान है। अतः इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कह देना हूं। मैं बंगाल के बारे में तो नहीं जानता किन्तु यदि आप भारत के देहातों में जायें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर अण्डमान का नाम कोई नहीं जानता किन्तु "कालापानी" सब जानते हैं। अण्डमान को तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले जानते हैं। अतः नाम में कोई विशेषता नहीं है। आप चाहें तो "कालापानी" से "गौरापानी" रख सकते हैं किन्तु इससे अन्तर क्या पड़ता है। यदि अधिक संख्या में लोग वहां जाकर बसते और उसे अपना घर समझने लगते हैं तो नाम बदला जा सकता है।

मेरे माननीय मित्र श्री गुहा ने किसी प्रकार के एकाधिकार का उल्लेख किया था। कृपा करके यह बात ध्यान में रखिए कि इन द्वीपों का सामरिक महत्व बहुत बड़ा है हम विदेशियों को तो वहां जाने ही नहीं देते अतः किसी विदेशी कम्पनी को किसी लाइसैन्स या एकाधिकार देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

मांग संख्या ६० स्वीकार कर ली गई।

मांग संख्या-६९—न्याय-व्यवस्था—५७,००० रुपये।

श्री के० के० बसु : लोगों में यह भावना फैली हुई है कि विशेष अधिकरण मुकदमों का फैसला करने में आवश्यकता से अधिक समय लेते हैं। गरीब लोगों को कड़ा दण्ड दिया जाता है जबकि अमीर लोग दलीलों से मुकदमों की अवधि बढ़ा बढ़ा कर न्यायाधीशों के हृदयों में दया की भावना उत्पन्न कर देते हैं और कम दण्ड से ही छूट जाते हैं। इन बातों के सम्बन्ध में जांच होनी चाहिए।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं केवल इस मुकदमे के बारे में कह सकता हूं जिसके लिए अतिरिक्त धन की मांग की गई है। देर के लिए आप अधिकरण को किसी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अधिकरण ने मुकदमे का निर्णय कर दिया था। परन्तु उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय ने आदेश दिये कि इस्तगासा तथा सफाई दोनों ही पक्षों की ओर से अतिरिक्त गवाहों की परीक्षा की जाये। वे इंग्लैण्ड और बर्मा में रह रहे थे। उनकी परीक्षा के लिए पहले भी आयोग भेजे गये थे और अब भी भेजे जायेंगे। एक आयोग ने इंग्लैण्ड में अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अभी दूसरे आयोग को नियुक्त करना है जो बर्मा में कार्य करेगा। इसी कार्य के लिए धन की आवश्यकता हुई थी और होगी। जब बजट प्रस्ताव तैयार किये गये थे तो इसका अनुमान नहीं लगाया गया था क्योंकि तब तक उच्च

[श्री बिस्वास]

न्यायालय ने अपना आदेश जारी नहीं किया था।

श्री के० के० बसु : क्या मुकदमे की सुनवाई फिर से आरम्भ की जायेगी ?

श्री बिस्वास : जी नहीं। उच्च न्यायालय ने अधिकरण के पास मुकदमा वापस इसलिए भेजा है कि वह प्राप्त होने वाली अतिरिक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों पर फिर से विचार करे।

एक दूसरी बात भी है। इनमें से कुछ मामलों के सम्बन्ध में मुकदमा समाप्त हो चुका है। एक मामले में समझौता हो गया है। किन्तु धन लाहौर के खजाने में जमा है और पाकिस्तान सरकार उसे देना नहीं चाहती जब तक कि सरकारी स्तर पर कोई फैसला नहीं हो जाता, यद्यपि इस के बारे में हम अनेक बार उन्हें लिख चुके हैं। एक सरे मामले में अभियुक्त व्यक्ति पाकिस्तान में हैं।

श्री ए० सी० गुहा : आप इसे किस प्रकार सुलझाने जा रहे हैं ?

श्री बिस्वास : उनका कहना है "इन व्यक्तियों के विरुद्ध पाकिस्तान में कार्यवाही हो रही है। हम उन्हें भेजने के लिए तैयार हैं किन्तु जब तक मुकदमों का फैसला नहीं हो जाता तब तक हम क्या कर सकते हैं" साथ ही वे यह भी कहते हैं, "अभियोगाधीन व्यक्तियों के विनिमय के सम्बन्ध में भी समझौता होना चाहिये।" इस प्रकार के प्रश्न उठाये गये हैं। इसी कारण देर हो रही है। हम जान कर देर नहीं कर रहे हैं।

श्री ए० सी० गुहा : क्या कभी अभियुक्त व्यक्तियों को पाकिस्तान से लाया जा सकेगा अथवा अधिकरण यों ही चलता रहेगा ?

श्री बिस्वास : इस समय तो हम अधिकरण का कार्यकाल जून तक बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें आशा है कि तब तक आयोग बर्मा में अपना काम समाप्त कर लेगा। यदि हम उन अनिश्चित बातों के लिए प्रतीक्षा करते रहे तो सम्भव है हमें प्रलय आने तक प्रतीक्षा करनी पड़े।

मांग संख्या ६९ स्वीकार कर ली गई।

मांग संख्या ७९—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय—१,०६,५७,००० रुपये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस मंत्रालय पर आज तीसरी बार बहस हो रही है। फिर भी, हम देखते हैं कि जो रुपया विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिए दिया जाता है वह न जाने कहां चला जाता है। क्योंकि आज भी सियालदा और हावड़ा स्टेशनों पर शरणार्थियों की भीड़ लगी रहती है। वास्तव में बात यह है कि जो धन दिया जाता है उसका ठीक से प्रयोग नहीं होता। उड़ीसा में कुछ शरणार्थियों को हाल ही में ऐसे स्थान पर भेजा गया था जहां जंगल ही जंगल था जब वे लौट आये तब अब फिर अन्यशरणार्थियों को वहां भेजा जा रहा है। इस बात का तो पता लगाया नहीं गया कि पहले भेजे गये शरणार्थी क्यों वापस लौट आये बल्कि अन्य लोगों को फिर वहां भेजा जा रहा है इस प्रकार धन का दुरुपयोग किया जाता है।

कहा जाता है कि धन शरणार्थियों के लिए कपड़ा, खाना, मकान तथा दवाइयों पर खर्च होता है। परन्तु सीमावर्ती क्षेत्रों में मैंने देखा है कि वहां पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थी बहुत ही खराब अवस्था में पड़े हुए हैं। कुछ को तो खाना तक प्राप्त नहीं है। बाबू घाट कैम्प में स्त्रियों और बच्चों को एक साथ रख दिया गया है। माता निकल आने पर भी रोगियों को अलग नहीं किया गया है।

जाड़े के दिन होते हुए भी उन्हें कम्बल तक नहीं दिये गये हैं। इस प्रकार देखा जाय तो जो धन उन पर व्यय होना चाहिए वह नहीं हो पाता।

रामचन्द्रपुर में बसने वाले शरणार्थियों ने बार बार सहायता की याचना की है परन्तु उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है।

मेमन सिंह ज़िले के हजांग आदिमजाति क्षेत्रों से लगभग २०,००० शरणार्थी गारो हिल्स में बस गये हैं। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से भी मिल चुका हूं। किन्तु अभी तक उनको सहायता देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं चाहती हूं कि जो कुछ धन मंजूर किया जाय वह उन पर ठीक तरह से व्यय हो।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच इस मामले में समन्वय नहीं है। पश्चिमी बंगाल सरकार यह नहीं जान पाती कि उसे केन्द्र से कब और कितना रुपया शरणार्थियों को बसाने के लिये मिलेगा, जब धन प्राप्त हो जाता है तो काम होने लगता है अन्यथा कुछ भी नहीं होता। बहुधा यह भय रहता है कि कहीं मंजूर किया गया रुपया कालातीत न हो जाये क्योंकि पहले से उसको उपयोग करने की कोई योजना तो होती नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि यह रुपया किस प्रकार व्यय किया जायेगा।

श्री ए० सी० गुहा: सब से पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस सदन को इस बात का अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह यह जान सके कि उसने जो धन मंजूर किया है उसका किस प्रकार से उपयोग किया गया है? माननीय पुनर्वास मंत्री के अनुसार यह नहीं बतलाया जा सकता कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने अथवा अन्य सरकारों ने पुनर्बास पर किस प्रकार धन व्यय किया। मेरे विचार में जब हम धन मंजूर करते हैं तो हमें इस बात का भी अधिकार प्राप्त है कि हम यह जान सकें कि धन किस प्रकार से व्यय किया गया। मैं चाहता हूं कि यह मामला साफ कर दिया जाये तो अच्छा है।

और कैम्पों के सम्बन्ध में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता किन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ अस्थायी कैम्प लगा दिये गये हैं। परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें २०० से अधिक शरणार्थी रह रहे हैं किन्तु सरकार को उनके खाने, डाक्टरी इलाज तथा पानी की व्यस्था करने ही में २० दिन लग गये हैं। यह तो ऐसी बातें हैं जिनका प्रबन्ध पहले ही से किया जाना चाहिए था।

रामचन्द्र पुर कौलोनी के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। एक राय साहब और पुनर्वास मंत्रालय के अधिकारियों के कारण इस कालौनी में बसने वाले शरणार्थियों को अनेक कष्ट सहने पड़े हैं। सरकार का कहना है कि वह १२५० रुपये में से, जोकि उन्हें दिये जाने हैं, उन पर अब तक किया हुआ व्यय काट लेगी और उन्हें केवल ३०० या ४०० रुपये दिये जायेंगे। वास्तव में देखा जाये तो इसमें वहां बसने वाले ११०० कुटुम्बों का कोई दोष नहीं है। सारा दोष तो उस राय साहब का है जिसने लोगों को सब्ज़ बाग दिखा कर वहां बसाया और बाद में कम्पनी ही ठप्प कर दी। मेरा निवेदन है कि सरकार इन परिवारों को हर प्रकार की सुविधायें दे जिससे वे वहां बस सकें। वे जान कर तो कहीं से भाग कर नहीं आये थे। उन्हें वैसा मजबूर होकर करना पड़ा था। अतः उनके साथ नम्रता का व्यवहार किया जाना चाहिए था।

डा० एस० पी० मुकर्जी: इस मांग के सम्बन्ध में मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। एक का सम्बन्ध उन शरणार्थियों से है जिन्हें पश्चिमी बंगाल से बाहर अन्य राज्यों

[डा० एस० पी० मुकर्जी]

में भेजा जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें पश्चिमी बंगाल के आस पास वाले राज्यों में भेजा जाये किन्तु साथ ही दूसरी बात मैं यह भी चाहता हूं कि उन्हें ऐसे स्थानों पर काफी बड़ी संख्या में भेजा जाये जिससे वे सामूहिक जीवन व्यतीत कर सकें।

परन्तु अब एक कठिनाई उठ खड़ी हुई है बहुत से शरणार्थी जिन्हें अन्यराज्यों में भेजा गया था वापस पश्चिमी बंगाल लौट रहे हैं तथा सरकार का कहना है कि वे ऐसे व्यक्तियों को भगोड़ा समझेगी तथा उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की सहायता न देगी। परन्तु मेरा सरकार से यह निवेदन है कि आप पहले इस बात का तो पता लगाइये कि वे लोग वहां से भाग कर वापस क्यों लौट रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार या उड़ीसा की सरकार उनके पुनर्वास का प्रबन्ध करने से पीछे नहीं हटना चाहती है किन्तु बात यह होती है कि सम्पूर्ण मामले पर मिल कर विचार नहीं किया जाता है। अधिकारी-गण कोई ठोस योजना नहीं बनाते और यदि बनाते भी हैं तो वह असफल रहती है क्योंकि वे सब बातों को ध्यान में रखकर ऐसा नहीं करते। बहुधा शरणार्थियों को ऐसे स्थानों पर भेज दिया जाता है जहां उनके रहने या जीविका उपार्जन करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। दूकानें ऐसे स्थानों पर बनाई जाती हैं जहां कोई खरीदार नहीं पहुंचता। आखिरकार बेचारे शरणार्थी विवश होकर पश्चिमी बंगाल को वापस लौट आते हैं। अतः मेरी माननीय मंत्री से अपील है कि वे ऐसे व्यक्तियों को भगोड़ा घोषित न करें, उन्हें शरारती व्यक्ति न समझें बल्कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति के मामले की जांच की जा सके। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि इन व्यक्तियों के रहने तथा जीविका उपार्जन का उन राज्यों में उचित प्रबन्ध कर दिया जाये तो हम इन व्यक्तियों को वहां वापस लौटाने में पूरा सहयोग देंगे। इनमें से अधिकतर लोग हावड़ा और सियालदा स्टेशनों पर पड़े हुए हैं। उनकी व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए।

अन्त में, मैं एक बात उन व्यक्तियों के बारे में कहना चाहूंगा जो पाकिस्तान में भारतीय समावृत्त क्षेत्रों से भाग कर आये हैं। इनकी संख्या कुछ सौ से अधिक नहीं है तथा वे अपने आप यहीं नहीं आये हैं बल्कि हम उनके रक्षा का वहां पर प्रबन्ध नहीं कर सके हैं इसलिए अन्सारों से बचने के लिए वे यहां भाग आये हैं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उनके साथ भी शरणार्थियों को भांति व्यवहार करे। उन्हें हर प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिए।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : अनेक बातें उठाई गई हैं। जिनमें से एक यह भी है कि क्या सदन को उन योजनाओं के विस्तार में जाने का अधिकार है जो पश्चिमी बंगाल सरकार कार्यान्वित कर रही है? इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हम संघ आधार पर कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में दे दिये गये हैं। अनुच्छेद १६२ का सम्बन्ध उन विषयों से है जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में आते हैं। पुनर्वास समवर्ती सूची में आता है। अनुच्छेद में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस सम्बन्ध में कार्यपालक शक्ति राज्य के हाथ में होगी। अतः जब तक हम कोई ऐसा कानून पास नहीं कर देते हैं जिसके अनुसार कार्यपालक शक्ति केन्द्रीय सरकार को दे दी जाती है तब तक इस शक्ति का उपयोग राज्य सरकार ही करती रहेगी। यह है इसका कानूनी पहलू।

अपने भाषण के दौरान में श्री गुहा ने अनेक बातें उठाई थीं। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सी बातें पश्चिमी बंगाल सरकार के पुनर्वास मंत्री के आश्वासन देने पर करी थीं किन्तु बाद में उन्हीं के बारे में झगड़ा खड़ा हो गया। स्वभावतः मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मुझे इस मामले का कोई ज्ञान नहीं है। केन्द्र योजनाओं के लिये धन मंजूर कर देता है। वह नीति भी निर्धारित कर देता है। मोटे तौर पर इन योजनाओं की परीक्षा यहां पर या कलकत्ते में कर ली जाती है। परन्तु योजनाओं को कार्यान्वित करने का भार राज्य पर ही रहता है। पुनर्वास के सम्बन्ध में हम केवल इन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं।

अब जो धन मांगा जा रहा है वह पुनर्वास के लिए नहीं बल्कि हाल ही में जो लोग पूर्वी बंगाल से आये हैं उनके लिए कैम्प लगाने तथा काम के केन्द्र खोलने के लिए मांगा जा रहा है। मेरे मित्र श्री गुहा ने रामचन्द्र नगर कौलोनी के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। इस सम्बन्ध में मैंने जांच करवाई थी और मालूम पड़ा कि इस कौलोनी का प्रबन्ध ठीक नहीं रहा है। परन्तु जहां इतने बड़े पैमाने पर काम होता हो वहां ऐसे उदाहरण निकल आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी कैम्पों का दौरा किया है। कौलोनियों में गया हूं, शरणार्थियों से मिलकर उनके कष्ट दूर करने का प्रयत्न किया है। मैं इस बात का दावा तो नहीं करता कि सब ठीक है किन्तु यह मैं अवश्य कहूंगा कि पुनर्वास के सम्बन्ध में पहले से काफी सुधार हो गया है।

डा० स्याम प्रसाद मुखर्जी ने इन लोगों का प्रश्न उठाया है जो अपने कैम्प छोड़ छोड़ कर कलकत्ते वापस लौट रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमने यह नीति बनाई है कि जब कोई व्यक्ति पुनर्वास केन्द्र या कैम्प छोड़ कर चला जाता है परन्तु फिर वापस लौट आता है तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि वह व्यक्ति कैम्प छोड़ कर क्यों गया। क्या हमारी ओर से कोई बात है या वह वहां रहना ही नहीं चाहता। यदि हमारी ओर से किसी प्रकार की कमी है तो हम उसे पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। यदि हम लोगों को आर्थिक सहायता दें और वे फिर जाकर स्टेशनों पर रहने लगें तो काम कैसे चल सकता है। अतः पश्चिमी बंगाल की पुनर्वास मंत्रिणी जो कुछ कर रही हैं उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी ने उन व्यक्तियों का प्रश्न भी उठाया था जो हावड़ा और सियालदा के स्टेशनों पर पड़े हुए हैं। मुझे उनके साथ सहानुभूति है। इस सम्बन्ध में मैंने इस सदन के सदस्यों का एक सम्मेलन भी बुलाया था जिसमें प्रत्येक दल के सदस्यों ने भाग लिया था। साम्यवादियों को छोड़ कर समस्त दलों के सदस्य इस बात पर राजी हो गये थे कि इन शरणार्थियों में से अधिक से अधिक को पश्चिमी बंगाल के बाहर बसाया जाय। प्रधान मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र लिखने पर बिहार और उड़ीसा सरकारों ने नये आये हुए शरणार्थियों में से लगभग १५,००० को लेना स्वीकार कर लिया था।

डा० एस० पी० मुकर्जी : परन्तु जब हम शरणार्थियों को वहां भेजते है तो वें उन्हें लेने से इनकार करते हैं।

श्री ए० पी० जैन : जी नहीं यह बात नहीं है। मैं आप को कागजात दिखला सकता हूं जिसमें उन्होंने शरणार्थियो को लेना स्वीकार कर लिया है।

उड़ीसा तथा बिहार सरकारों द्वारा शरणार्थियों को लैना स्वीकार करने पर हम ने ३५,००० व्यक्तियों की उड़ीसा व

[श्री ए० पीं० जैन]

३०० व्यक्तियों को बिहार भेजने का प्रबंध किया जब हमन लोगों को रेलगाड़ी में सवार कराके विहार भेजना चाहा तो उन्होंने जाने से इनकार किया। अनेक प्रकार की गड़बड़ी पैदा कर दी ।

जहां तक आये हुए नये शरणार्थियों का सम्बन्ध है जिन्हे उड़ीसा तथा बिहार भेजा गया है मैं यह कह देना चाहता हूं कि उन्हें पुनर्वास केन्द्रों में नहीं रखा गया है। वे कैम्पों में रह रहे हैं। उड़ीसा में चारबतिआ कैम्प में जब जवान व्यक्तियों को काम करने के लिये दिया गया तो उन्होने इन्कार कर दिया । उन्होंने सड़क बनाने, पत्थर तोड़ने आदि जैसे कामों को करना अस्वीकार किया। वे लोग वहां से भाग आये और अब हावड़ा स्टेशन पर पड़े हुए हैं। अतः इस प्रकार बहुत ही कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है । यदि आप किसी व्यक्ति को काम दें और वह जाकर सियालदा स्टेशन पर बैठ जाये तो आप क्या कर सकते हैं। मैं तो उस व्यक्ति को तब तक कोई सहायता नहीं दूंगा जब तक वह अपने कैम्प को वापस नहीं लौट जाता है ।

कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा काम दिया जाये जो वे कर सकें। मैं पूछता हूं कि किसानों को सड़क बनाने का काम न देकर क्या दफ्तरों में होने वाला काम दिया जाये ? आप कहते हैं उन्हें खेती के लिए जमीन दे दो । परन्तु सब लोगों को ही जमीन देना भी तो सम्भव नहीं है । जब पुनर्वास का प्रश्न उठेगा तो हम इस पर विचार करेंगे किन्तु कैम्पों में रहने पर तो उन्हें सड़क बनाने या नहर खोदने, जैसा ही काम करना पड़ेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

डा० स्याम प्रसाद मुखर्जी ने समावृत बस्तियों से आने वाले व्यक्तियों का भी प्रश्न उठाया है। मैं इन व्यक्तियों की कठिनाइयों को समझता हूं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं उपयुक्त मामलों में पश्चिमी बंगाल सरकार को ऐसे व्यक्तियों को सहायता देने का अधिकार दे दूंगा।

जहां तक हाजंग से आये हुए लोगों का सम्बन्ध है वे लोग आदिम जाति के हैं। इस प्रकार उनको बसाने का कार्य धन के रूप में नहीं नापा जा सकता। इस सम्बन्ध में मैंने आसाम के राज्यपाल को पत्र लिख दिया क्योंकि आदिमजाति क्षेत्र का प्रबन्ध उन्हीं के हाथ में है। मुझे विश्वास है कि वह हर प्रकार से इन शरणार्थियों की सहायता करेंग ।

मांग संख्या ७९ स्वीकार कर ली गई ।

मांग संख्या ८७—राज्यों से सम्बन्ध—२,३४,००० रुपये।

मांग संख्या ८८—राज्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय—९,३०,००० रुपये।

उपाध्यक्ष महोदय: दोनों मांग संख्यायें ८७ तथा ८८ सदन के सम्मुख प्रस्तुत हैं। दोनों का सम्बन्ध राज्य मंत्रालय से है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मांग संख्या८७ में केन्द्रीय रक्षित पुलिस पर जो व्यय दिखाया गया है वह ठीक नहीं मालूम होता है । अजमेर पुलिस, जो केन्द्रीय रक्षित पुलिस पर नियंत्रण करती है, अपने भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो चुकी है। हम जानना चाहते हैं कि यह व्यय किस प्रकार हुआ। हम जानना चाहते हैं कि यह व्यय पुलिस की टोलियों को लाने ले जाने पर हुआ है या कुछ ट्रकों को अधिकारियों के मकान आदि बनवाने के सम्बन्ध में सामान ढ़ोने के लिए भी प्रयोग किया गया है। मेरे विचार में यह व्यय उन बातों पर किया गया है जिनकी आवश्यकता नहीं थी। यदि यह भी मान लिया जाये कि

यह व्यय पुलिस के कुछ दस्तों को काश्मीर भेजने में हुआ है तो भी क्या हम वैधानिक रूप से ऐसा कर सकते हैं ? मेरे विचार में नहीं। जहां तक मैं सोच सकता हूं यह व्यय पुलिस को काश्मीर भेजने पर किया गया है जिससे वे वहां हमारे ही भाइयों को गोली का शिकार बनायें।

डा० एस० पी मुकर्जी : मांग संख्या ८८ में काश्मीर को सहायता देने का उल्लेख है। यह आर्थिक सहायता सामूहिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में दी जानी थी। काम आरम्भ होने से पहले मंजूरी दी जाती है। क्या जम्मू और काश्मीर में सामूहिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में वैसा ही नियंत्रण लागू हो सकेगा जैसा अन्य राज्यों में किया जाता है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : ठीक यही बात है और अभी तक इस सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। न केवल वे अपनी सामूहिक परियोजनायें बल्कि अन्य टैक्निकल योजनायें भी हमारे पास परीक्षा के लिए भेजेंगे तथा धन उन्हें तब ही दिया जायेगा जब वह लेखा परीक्षा करवाने के लिए तैयार हो जायेंगे जैसा कि अन्य राज्यों के साथ किया जाता है। अतः जम्मू तथा काश्मीर के सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं मांग संख्या ८८ का विरोध करता हूं। काश्मीर को आर्थिक सहायता दिये जाने के विरुद्ध नहीं हूं, किन्तु ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब जम्मू और काश्मीर पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो जाये। इस समय जम्मू काश्मीर के सम्बन्ध में जो स्थिति है वह डावांडोल है। आप सामूहिक परियोजनाओं के लिए धन देना चाहते हैं किन्तु क्या आपको उसके खर्च किये जाने पर भी कोई नियंत्रण प्राप्त होगा ? हमने काश्मीर पर लाखों रुपये व्यय किये हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अतः यह सदन किसी भी ऐसी मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिसके अन्तर्गत दिये गये धन को खर्च करने पर उसका नियंत्रण न हो।

डा० काटजू : मैं पहले मांग संख्या ८७ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। एक माननीय सदस्य ने अभी नीमच स्थित केन्द्रीय पुलिस दल के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट किये हैं। उनकी राय में केन्द्रीय पुलिस दल कोई ठीक काम नहीं कर रहा है। परन्तु मैं उन्हें बतला दूं कि इसका काम बहुत अच्छा रहा है। इसने राजस्थान सरकार को सहायता दी है। यदि आप उस सरकार से पूछे तो वह यही कहेगी कि इस पुलिस दल ने राज्य में शान्ति और व्यवस्था कायम करने में बड़ी सहायता दी है। मेरे विचार में अधिकारियों पर आरोप लगाना ठीक नहीं है जबकि उन्हें यहां अपनी सफाई पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं है। कोई विशेष व्यक्ति या मामला बताया जाये तो मैं उसकी जांच करवाने के लिए तैयार हूं।

जहां तक जम्मू और काश्मीर का प्रश्न है यह धन नगरोटा तथा यौल कैम्पों पर व्यय किया जाना है। वहां पर लगभग १५० परिवार पड़े हुए हैं। उनकी सहायता भी तो हमें ही करनी है। पिछले पांच वर्षों में हम काश्मीर पर करोड़ों रुपये व्यय कर चुके हैं।

मांग संख्या ८७ तथा ८८ स्वीकार कर ली गईं।

मांग संख्या ९६ —रलद— ६९,८६,००० रुपये।

मांग संख्या ९६ स्वीकार कर ली गई।

विनियोग विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में जो व्यय होगा उसके निमित्त भारत की संचित निधि में से कतिपय अग्रेतर धन-राशियों के शोधन तथा विनियोग को अधिकृत करने के हेतु एक विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव रखा गया तथा सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं (राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ प्रस्तुत किया गया) । कि वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में जो व्यय होगा उसके निमित्त भारत की संचित निधि में से कतिपय अग्रेतर धनराशियों के शोधन तथा विनियोग को अधिकृत करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव रखा गया तथा सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

खण्ड एक से तीन तक तथा अनुसूची को विधेयक का अंग बना लिया गया ।

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव रखा गया तथा सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार, २० फरवरी, १९५३ के २ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

GIPD—HS—204 PSD—2-11-53—285